छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

श्री विष्णुदेव साय जी
मान. मुख्यमंत्री

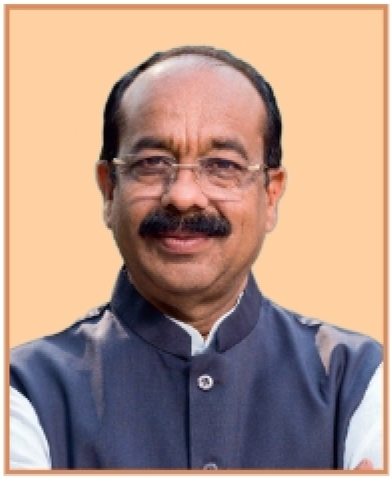

श्री अरुण साव जी
मान. उप मुख्यमंत्री

पी.व्ही.टी.जी. बसाहट ग्राम-झालखम्हरिया, जिला महासमुन्द में जल जीवन मिशन अंतर्गत निर्मित 50 कि.ली. क्षमता उच्चस्तरीय जलागार

वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन

वर्ष 2023-24

मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मान. श्री अरूण साव, उप मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग एवं मान. श्री केदार कश्यप, मंत्री छ.ग. शासन, जल संसाधन विभाग की उपस्थिति में जल जीवन मिशन के कार्यो की समीक्षा बैठक दिनांक 15.01.2023

मान. श्री अरूण साव, उप-मुख्यमंत्री, छ.ग. शासन लो.स्वा.यां. विभाग एवं मान. श्री ओ.पी. चौधरी, मंत्री, छ.ग.शासन, वित्त विभाग, एवं मो. कैसर अब्दुलहक, सचिव छ.ग. शासन लो.स्वा. यां. विभाग की उपस्थिति में विभागीय बजट चर्चा हेतु बैठक दिनांक 20.01.2024

छत्तीसगढ़ शासन

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

वर्ष 2023-24

उप मुख्यमंत्री	-	माननीय श्री अरूण साव

मंत्रालय

सचिव	-	श्री मोहम्मद कैसर अब्दुलहक
मिशन संचालक	-	श्री सुनील कुमार जैन
अवर सचिव	-	श्री रविन्द्र मेढ़ेकर
विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी	-	श्री टी.डी. सांडिल्य
	-	श्री के. के. मरकाम

विभागाध्यक्ष

प्रमुख अभियंता	-	डॉ. एम.एल. अग्रवाल

बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना जिला बीजापुर के अंतर्गत निर्माणाधीन कैसकेड एरीयेटर

बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना जिला बीजापुर के अंतर्गत निर्माणाधीन क्लेरीफ्लॉकुलेटर

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	भाग-1 विभागीय संरचना	01-07
2.	भाग-2 बजट विहंगावलोकन (एक दृष्टि में)	08-09
3.	भाग-3 राज्य योजनाएं तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएं	10-38
4.	भाग-4 सामान्य प्रशासनिक विषय	39-43
5.	भाग-5 विभागीय प्रकाशन	44-44
6.	भाग-6 अभिनव योजना	45-45
7.	भाग-7 सारांश	46-51

मान. केन्द्रीय मंत्री जी एवं मान. उप मुख्यमंत्री जी द्वारा पी.व्ही.टी.जी. बसाहट ग्राम झालखम्हरिया, में घरेलू नल कनेक्शन का अवलोकन करते हुए

ग्राम कोसाबंदर, ग्राम पंचायत झापरा, विकासखंड सुकमा, जिला सुकमा में स्थापित सोलर पंप

भाग - एक

विभागीय संरचना

1.1 सामान्य :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु योजनाओं को तैयार कर क्रियान्वयन तथा नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की आवश्यकता के अनुरूप जलप्रदाय योजना तैयार कर क्रियान्वयन करने का उत्तरदायित्व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का है।

1.2 विभागीय संरचना :

मंत्रालय के अधीनस्थ विभागीय संरचना में प्रमुख अभियंता विभागाध्यक्ष है। कार्यालय प्रमुख अभियंता, तृतीय तल, चतुर्थ ब्लाक, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर, अटल नगर में स्थित है। विभागाध्यक्ष कार्यालय का कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। प्रदेश में परिक्षेत्रवार तीन मुख्य अभियंता कार्यालय निम्नानुसार कार्यरत् हैः–

(अ) मुख्य अभियंता, रायपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय रायपुर :

कार्यक्षेत्र- रायपुर एवं दुर्ग राजस्व संभाग अंतर्गत 12 जिले कमशः रायपुर, महासमुन्द, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा, दुर्ग, बालोद, बेमेतरा, राजनांदगांव, कबीरधाम, खैरागढ़–छुईखदान–गण्डई एवं मोहला–मानपुर–अम्बागढ़ चौकी ।

(ब) मुख्य अभियंता, बिलासपुर परिक्षेत्र- मुख्यालय बिलासपुर :

कार्यक्षेत्र- बिलासपुर एवं सरगुजा राजस्व संभाग के अंतर्गत 14 जिले कमशः बिलासपुर, मुंगेली, गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, जशपुर, कोरिया, सारंगढ़–बिलाईगढ, सक्ती एवं मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर।

(स) मुख्य अभियंता, जगदलपुर परिक्षेत्र - मुख्यालय जगदलपुरः

कार्यक्षेत्र- बस्तर राजस्व संभाग के अंतर्गत 7 जिले कमशः बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, कोण्डागांव, कांकेर एवं नारायणपुर।

इसके अतिरिक्त प्रमुख अभियंता कार्यालय में मुख्य अभियंता (सिविल) का एक पद तथा मुख्य अभियंता (वि0 / यां0) का एक पद सृजित है। प्रमुख अभियंता कार्यालय में पदस्थ मुख्य अभियंता (सिविल), राज्य स्तरीय पर्यवेक्षण एवं कियान्वयन प्रकोष्ठ के प्रभारी होते हैं, उनके द्वारा प्रमुख अभियंता कार्यालय में विभागीय कार्यक्रमों के कियान्वयन का अनुश्रवण का कार्य किया जाता है। मुख्य अभियंता (वि0 / यां0) का उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता कार्यालय में प्रदेश के विद्युत एवं यांत्रिकी संकाय के कार्यों का अनुश्रवण एवं समन्वय करने का है।

1.3 मैदानी स्तर पर विभागीय संरचना :

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग में सिविल संकाय के राजस्व संभाग स्तर पर रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, सरगुजा एवं जगदलपुर मण्डल कार्यालय कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त जिला मुख्यालय कोण्डागांव में भी मण्डल कार्यालय कार्यरत् है। इस प्रकार राज्य में कुल छः मंडल कार्यालय हैं। मण्डल कार्यालयों के कार्यालय प्रमुख, अधीक्षण अभियंता होते हैं।

प्रदेश के जिला स्तर पर एक सिविल खण्ड कार्यालय कार्यरत् है, इसके अतिरिक्त रायपुर, बेमेतरा, जगदलपुर और कोरबा में एक–एक परियोजना खण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। इस प्रकार (सिविल) के जिला स्तरीय 33 खंड कार्यालय, 4 परियोजना खण्ड कार्यालय स्थापित हैं। जिनके कार्यालय प्रमुख, कार्यपालन अभियंता हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन कुल 89 उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (सिविल) कार्यालय प्रमुख होते हैं।

विभाग के विद्युत / यांत्रिकी संकाय हेतु राज्य में एक मण्डल कार्यालय रायपुर में स्थापित है। जिसका कार्यक्षेत्र संपूर्ण प्रदेश है। जिसके अंतर्गत 5 विद्युत / यांत्रिकी खण्ड कार्यालय, कमशः रायपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, बिलासपुर एवं अंबिकापुर में कार्यरत् हैं। इन खण्ड कार्यालयों के अधीन जिला मुख्यालयों पर 27 विद्युत / यांत्रिकी उपखण्ड कार्यालय कार्यरत् हैं। उपखण्ड कार्यालय में सहायक अभियंता (वि / यां) कार्यालय प्रमुख होते है।

विभागीय संरचना

उप-मुख्यमंत्री

↓

सचिव

↓

प्रमुख अभियंता → मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर; मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर; मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर; अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर

मिशन संचालक
जल जीवन मिशन

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र रायपुर → अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर; अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र बिलासपुर → अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर; अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर

मुख्य अभियंता परिक्षेत्र जगदलपुर → अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर; अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव

अधीक्षण अभियंता, मंडल रायपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल दुर्ग	अधीक्षण अभियंता, मंडल बिलासपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल अंबिकापुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल जगदलपुर	अधीक्षण अभियंता, मंडल कोण्डागांव	अधीक्षण अभियंता, वि0/यां0 मंडल, रायपुर
(1) खण्ड रायपुर उपखंड रायपुर भूजल संवर्धन उपखंड रायपुर **(2) खण्ड धमतरी** उपखंड धमतरी उपखंड कुरूद उपखंड नगरी **(3) खण्ड महासमुंद** उपखंड महासमुंद उपखंड सरायपाली **(4) खण्ड बलौदाबाजार** उपखंड भाटापारा उपखंड बलौदाबाजार उपखंड कसडोल **(5) खण्ड गरियाबंद** उपखंड गरियाबंद उपखंड राजिम उपखंड देवभोग **(6) परि.खण्ड रायपुर** परि. उपखंड क्र. 1 रायपुर परि. उपखंड क्र. 2 रायपुर	**(1) खण्ड दुर्ग** उपखंड दुर्ग उपखंड पाटन **(2) खण्ड बालोद** उपखंड बालोद उपखंड गुंडरदेही उपखंड डौंडी **(3) खण्ड बेमेतरा** उपखंड बेमेतरा उपखंड साजा **(4) खण्ड राजनांदगांव** उपखंड राजनांदगांव उपखंड डोंगरगढ़ वि.संधा. उपखण्ड, राजनांदगांव **(5) खण्ड खैरागढ़–छुईखदान–गंडई** उपखंड खैरागढ़ उपखंड छुईखदान **(6) खण्ड मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी** उपखंड चौकी उपखंड मोहला **(7) खण्ड कबीरधाम** उपखंड कवर्धा उपखंड पंडरिया उपखंड बोडला **(8) परि.खण्ड बेमेतरा** परि. उपखंड क्र.1 बेमेतरा परि. उपखंड क्र.2 बेमेतरा परि. उपखंड क्र.3 बेमेतरा	**(1) खण्ड बिलासपुर** उपखंड बिलासपुर उपखंड तखतपुर **(2) खण्ड गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही** उपखंड गौरेला **(3) खण्ड मुंगेली** उपखंड मुंगेली उपखंड पथरिया **(4) खण्ड कोरबा** उपखंड कोरबा उपखंड कटघोरा **(5) खण्ड जांजगीर-चांपा** उपखंड चांपा उपखंड अकलतरा **(6) खण्ड सक्ती** उपखंड सक्ती उपखंड डभरा **(7) खण्ड रायगढ़** उपखंड रायगढ़ उपखंड धरमजयगढ़ उपखंड घरघोड़ा उपखंड खरसिया **(8) खण्ड सारंगढ़** उपखंड सारंगढ़ **(9) परि.खण्ड कोरबा** परि. उपखण्ड क्र. 1 कोरबा	**(1) खण्ड अंबिकापुर** उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सीतापुर **(2) खण्ड बलरामपुर** उपखंड बलरामपुर उपखंड कुसमी उपखंड रामानुजगंज उपखंड वाड्रफनगर **(3) खण्ड सूरजपुर** उपखंड सूरजपुर उपखंड प्रतापपुर उपखंड ओड़गी **(4) खण्ड जशपुर** उपखंड जशपुर उपखंड कुनकुरी उपखंड पत्थलगांव उपखंड कांसाबेल **(5) खण्ड कोरिया** उपखंड बैकुंठपुर उपखंड जनकपुर **(6) खण्ड मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर** उपखंड मनेन्द्रगढ़ उपखंड चिरमिरी	**(1) खण्ड जगदलपुर** उपखंड क्र.1 जगदलपुर (मुख्यलय बस्तर) उपखंड क्र.2 जगदलपुर उपखंड तोकापाल भू.सं.उपखंड जगदलपुर संधा.उपखंड जगदलपुर **(2) खण्ड दंतेवाड़ा** उपखंड दंतेवाड़ा उपखंड क्र.2 दंतेवाड़ा **(3) खण्ड सुकमा** उपखंड सुकमा उपखंड कोंटा **(4) खण्ड बीजापुर** उपखंड बीजापुर उपखंड भोपालपटनम **(5) परि.खण्ड जगदलपुर** परि.उपखण्ड क्र 3 जगदलपुर परि.उपखण्ड क्र 4 जगदलपुर	**(1) खण्ड कोण्डागांव** उपखंड कोंडागांव उपखंड केशकाल **(2) खण्ड कांकेर** उपखंड कांकेर उपखंड भानुप्रतापपुर उपखंड अंतागढ़ **(3) खण्ड नारायणपुर** उपखण्ड नारायणपुर	**(1) वि/यां खण्ड रायपुर** उपखंड रायपुर उपखंड गरियाबंद उपखंड बलौदाबाजार उपखंड धमतरी उपखंड महासमुंद **(2) वि/यां खण्ड राजनांदगांव** उपखंड दुर्ग उपखंड बालोद उपखंड बेमेतरा उपखंड राजनांदगांव उपखंड कवर्धा **(3) वि/यां खण्ड बिलासपुर** उपखंड बिलासपुर उपखंड मुंगेली उपखंड चांपा उपखंड कोरबा उपखंड रायगढ़ **(4) वि/यां खण्ड अम्बिकापुर** उपखंड अम्बिकापुर उपखंड सूरजपुर उपखंड बलरामपुर उपखंड कोरिया उपखंड जशपुर **(5) वि/यां खण्ड जगदलपुर** उपखण्ड जगदलपुर उपखण्ड कोण्डागांव उपखंड दंतेवाडा उपखंड सुकमा उपखंड कांकेर उपखंड बीजापुर उपखंड नारायणपुर

1.4 विभाग के दायित्वः

वर्तमान में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश के समस्त 49.99 लाख ग्रामीण परिवारों को क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन (एफ.एच.टी.सी.) द्वारा, 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन के मापदण्ड से, गुणवत्तायुक्त शुद्ध पेयजल, दीर्घकालीन अवधि तक के लिए निरंतर उपलब्ध कराना, विभाग का दायित्व है। विभाग के अन्य दायित्व निम्नानुसार हैं :–

- ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु, पेयजल योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- समस्याग्रस्त बसाहटों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उच्चस्तरीय टंकी आधारित नल जल योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे ग्रामों/बसाहटों जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है, अथवा भू–जल की गुणवत्ता प्रभावित है, वहां सतही स्रोत पर आधारित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाओं का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- जल गुणवत्ता यथा लौह आधिक्य, फ्लोराइड आधिक्य, आर्सेनिक आधिक्य व लवण आधिक्य से प्रभावित बसाहटों में आवश्यकतानुसार जल शुद्धिकरण संयंत्र की स्थापना एवं अनुरक्षण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल प्रदाय हेतु स्थापित विभागीय हैण्डपम्पों का अनुरक्षण।
- ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल स्रोतों की फील्ड टेस्ट किट से जल गुणवत्ता की जाँच एवं उसकी सतत् निगरानी तथा ग्राम पंचायतों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को इस संबंध में प्रशिक्षित करना।
- राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय एवं उपखण्ड स्तरीय पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना एवं जल नमूनों का परीक्षण कार्य।
- ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध जल स्रोतों एवं संचालित योजनाओं की निरंतरता हेतु जल संरक्षण, भूजल संवर्धन आदि कार्यों का रूपांकन एवं क्रियान्वयन।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शासकीय शालाओं, शासकीय भवन युक्त आँगनबाड़ी केन्द्रों तथा अन्य शासकीय भवनों में शुद्ध पेयजल प्रदाय की व्यवस्था।
- नगरीय क्षेत्रों में नगरीय निकायों की मांग अनुसार पेयजल एवं जलमल निकास योजनाओं के लिए सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य।
- मेले में पेयजल एवं अस्थाई शौचालय व्यवस्था।

1.5 सामान्य जानकारी :

प्रदेश में वर्तमान में कुल आबाद ग्राम 19,663 हैं, इनमें कुल 75,207 बसाहटें चिन्हित की गई हैं। इन सभी बसाहटों में कम से कम एक पेयजल स्त्रोत निर्मित किया जा चुका है। पर्याप्त पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ–साथ विभाग द्वारा पेयजल की गुणवत्ता पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

प्रदेश के कुल 168 नगरीय निकायों में से 27 नगरीय निकायों में जलप्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन का कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है।

1.6 प्रमुख विशेषताएं:

राज्य में जलप्रदाय स्त्रोतों के विकास की मुख्य रूप से जिम्मेदारी भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची अनुसार राज्य सरकारों की है। फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु समय–समय पर नीति निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता रहा है।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन की व्यवस्था राज्य शासन एवं केन्द्र प्रवर्तित योजना हेतु भारत सरकार द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए पेयजल व्यवस्था राज्य शासन अपने संसाधनों से भी उपलब्ध कराती है। विभाग द्वारा नगरीय क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए योजना की लागत का राज्य शासन द्वारा 70 प्रतिशत अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों के माध्यम से विभाग को उपलब्ध कराया जाता है।

1.7 लक्ष्य:

- प्रत्येक ग्रामीण परिवार को शुद्व पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करना।
- समुदाय और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा शत–प्रतिशत ग्रामीण पेयजल स्त्रोतों एवं योजनाओं का संचालन एवं संधारण।
- प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित शालाओं, आंगनबाड़ी एवं स्वास्थ्य केन्द्रों में रनिंग वॉटर से पेयजल प्रदाय।
- ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित सभी पेयजल स्त्रोतों का फील्ड टेस्ट किट के माध्यम से वर्ष में एक बार केमिकल परीक्षण एवं दो बार जीवाणु परीक्षण किया जाना तथा सभी बसाहटों के न्यूनतम एक पेयजल स्त्रोत के जल नमूने का जिला पेयजल परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाना।

1.8 महत्पूर्ण सांख्यिकी (माह दिसंबर, 2023 की स्थिति में):

(1)	ग्रामों की संख्या	:	19,663
(2)	बसाहटें	:	75,207
(3)	स्थापित हैंडपंप	:	2,69,762
(4)	**शालाओं में पेयजल व्यवस्था :-**		
	शालाओं की संख्या	:	46,280
	रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध शालाओं की संख्या	:	43,980
(5)	**आँगनबाड़ी केन्द्रों में पेयजल व्यवस्था :-**		
	आँगनबाड़ी केन्द्रों की संख्या	:	45,731
	रनिंग वॉटर से पेयजल उपलब्ध आंगनबाड़ियों की संख्या	:	41,720
(6)	**ग्रामीण नलजल प्रदाय योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):-**		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	4,524
	पूर्ण योजनाएं	:	4,416
	प्रगतिरत् एवं आंशिक पूर्ण योजनाएं (जे.जे.एम. अंतर्गत रेट्रोफिटिंग में परिवर्तित)	:	108
(7)	**स्थल जल प्रदाय योजनाएं:-**		
	कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,100
	पूर्ण योजनाएं	:	2,100

(8) सोलर आधारित (900 वॉट) योजनाएं (जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत):-

कुल स्वीकृत योजनाएं	:	2,872
पूर्ण योजनाएं	:	2,872

(09) सोलर आधारित (600 वॉट)-ड्यूअल ऑपरेटेड पंप :(जे.जे.एम. लागू होने के पूर्व स्वीकृत)

कुल स्वीकृत कार्य	:	4,937
पूर्ण कार्य	:	4,937

(10) जे.जे.एम. अंतर्गत स्थापित सोलर पंप: : 7,489

(11) उपलब्ध कराये गये घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2023 तक): : 36,66,849

(12) पेयजल गुणवत्ता :- गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित प्रदूषण निवारण संयंत्रों की स्थिति :–

1. लौह निवारण संयंत्र	:	3,015
2. फ्लोराइड निवारण संयंत्र	:	512
3. आर्सेनिक निवारण संयंत्र	:	04
4. टी.डी.एस.(खारा पानी) निवारण संयंत्र	:	170

(13) नगरीय निकायों में जलप्रदाय व्यवस्था :-

नगरीय निकायों की संख्या	:	168
क्रियान्वित योजनाएं	:	141
प्रगतिरत् योजनाएं	:	27

भाग - दो

बजट विहंगावलोकन

2.1. बजट (एक दृष्टि में) :

वित्तीय वर्ष 2021—22, 2022—23 एवं 2023—24 के लिए बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत प्रावधान किया गया है, जिसमें राज्य की योजनाएं एवं केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

विभागीय बजट में जल जीवन मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसके लिए शासन द्वारा बजट में वित्तीय वर्ष 2023—24 में कुल रू. 4330.00 करोड़ का प्रावधान है। समग्र में विगत तीन वर्षों में उपलब्ध कराये गये बजट प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि रूपये लाख में)

स.क्र.	वित्तीय वर्ष	बजट प्रावधान (अनुपूरक सहित)	कुल व्यय	व्यय का प्रतिशत
1	2021-22	202891.30	150948.29	74.40%
2	2022-23	275201.31	257328.31	93.51%
3	2023-24 (दिसम्बर—2023)	489331.89	219696.27	44.90%

2.2 मांग संख्यावार बजट प्रावधान :

विभागीय बजट में वित्तीय वर्ष 2023—24 (31 दिसंबर, 2023 तक) के लिये बजट में सामान्य, अनुसूचित जनजाति उपयोजना एवं अनुसूचित जाति उपयोजना में राजस्व एवं पूंजीगत मद अंतर्गत प्रावधान एवं व्यय का विवरण निम्नानुसार है :—

वित्तीय वर्ष 2023-24 (31 दिसंबर, 2023 तक)

(राशि रूपये लाख में)

लेखा शीर्ष	मूल बजट प्रावधान	अनुपूरक बजट प्रावधान	कुल बजट प्रावधान	व्यय (दिसम्बर–2023 तक)	व्यय का प्रतिशत
मांग संख्या–20					
राजस्व अनुभाग	34107.03	600.00	34707.03	17471.40	50.34
पूंजी अनुभाग	109275.29	125110.00	234385.29	104248.86	44.48
योग	**143382.32**	**125710.00**	**269092.32**	**121720.26**	**45.23**
मांग संख्या–41					
राजस्व अनुभाग	960.98	0.00	960.98	234.86	24.44
पूंजी अनुभाग	81854.16	55330.00	137184.16	58512.92	42.65
योग	**82815-14**	**55330-00**	**138145-14**	**58747-78**	**42.53**
मांग संख्या–64					
राजस्व अनुभाग	176.61	0.00	176.61	0.00	0.00
पूंजी अनुभाग	25647.82	52560.00	78207.82	37402.52	47.82
योग	**25824.43**	**52560.00**	**78384.43**	**37402.52**	**47.72**
मांग संख्या–80					
राजस्व अनुभाग	3620.00	0.00	3620.00	1825.71	50.01
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**3620.00**	**0.00**	**3620.00**	**1825.71**	**50.43**
मांग संख्या–82					
राजस्व अनुभाग	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00
पूंजी अनुभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग	**90.00**	**0.00**	**90.00**	**0.00**	**0.00**
कुल योग–	**255731.89**	**233600.00**	**489331.89**	**219696.27**	**44.90**

भाग - तीन

राज्य योजनाएँ तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाएँ

3.1 राज्य योजनाएँ

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य योजना के अंतर्गत किया जाता है। ग्रामीण पेयजल प्रदाय से संबंधित कार्य जो जलजीवन मिशन में सम्मिलित नहीं हैं उनका क्रियान्वयन राज्य योजना अंतर्गत किया जा रहा है ।

विभाग द्वारा राज्य के नगरीय निकायों में पेयजल प्रदाय योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए विभाग को राज्य मद से अनुदान की राशि प्रदान की जाती है।

(अ) ग्रामीण पेयजल प्रदाय :

1 **हैण्डपम्प योजनाएँ :** प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बसाहटों में नलकूप खनन उपरांत हैण्डपंप स्थापित कर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हैण्डपंप योजनाओं का क्रियान्वयन राज्य मद से किया जाता है। योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2023–24 में निर्धारित लक्ष्य एवं माह दिसम्बर, 2023 तक की स्थिति में प्राप्त भौतिक उपलब्धि निम्नानुसार है :–

क.	विवरण	कुल लक्ष्य	खनित नलकूप	सफल
1.	बसाहटों में नलकूप खनन	5,200	3,112	2,474
2.	नगरीय निकायों में नलकूप खनन	222	78	76
3.	गौठानों में नलकूप खनन	785	288	269
4.	निक्षेप मद अंतर्गत नलकूप खनन	......	71	63

ग्राम-जवाहर नगर कैम्प, विकासखंड-बलरामपुर,
जिला- बलरामपुर हैण्डपंप के माध्यम से पेयजल व्यवस्था

भौगोलिक परिवेश एवं स्ट्रेट्रा को देखते हुये जिलेवार रिग मशीनों का आबंटन

विभागीय रिग मशीन के.एल.आर.-1100

राज्य में कुल 45 रिग मशीनें हैं, जो आवश्यकता अनुसार विभिन्न जिलों में कार्यरत् हैं।

i. पहुँच की दृष्टि से प्रदेश में तीन तरह की रिग मशीनें उपलब्ध हैं :-

- क्राउलर माउन्टेड रिग मशीन – 2 नग
- ट्रेक्टर माउन्टेड रिग मशीन – 10 नग
- ट्रक माउन्टेड रिग मशीन – 33 नग

ii. स्ट्रेट्रा के दृष्टि से रिग मशीनों की उपलब्धता:

- डी.टी.एच. रिग मशीन – 40 नग

  ऐसी सतह जहॉ 30–40 फिट तक मिट्टी, पत्थर तथा बाद में कड़ा पत्थर मिलता हो, ऐसी जगह इन मशीनों की सहायता से अधिक गहराई के नलकूपों का खनन किया जाता है।

- कॉम्बीनेशन रिग मशीन – 05 नग

  ऐसी सतह जहॉ लगभग 100 से 150 फिट तक बोल्डर, रेत व भसकने वाला स्ट्रेट्रा होता है एवं इस स्ट्रेट्रा में पानी नहीं मिलने पर बाद में कड़ा पत्थर प्राप्त होता है ऐसी जगह पर इन मशीनों की सहायता से नलकूप का खनन किया जाता है।

iii. हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिट:

- असफल नलकूपों को हाइड्रोफ्रेक्चरिंग कर सफल बनाने के लिए – 04 नग।

iv. यील्ड टेस्ट यूनिट:

- नलकूपों की जल क्षमता का आंकलन करने के लिए 03 यील्ड टेस्ट यूनिट कार्यरत् हैं।

v. जिलेवार कार्यरत् रिग मशीन एवं हाइड्रोफ्रैक्चर यूनिट:

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रो फैक्चर यूनिट	यील्ड टेस्ट यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर		
1	रायपुर	–	–	–	1	–	1
2	बलौदाबाजार	1	–	1	–		
3	धमतरी	–	1	1	–		
4	गरियाबंद	2	–	–	–		
5	महासमुंद	1	1	–	–		

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रो-फैक्चर यूनिट	यील्ड टेस्ट यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर		
6	दुर्ग	–	1	–	1	1	1
7	बालोद	1	–	–	–		
8	बेमेतरा	1	1	–	–		
9	राजनांदगांव	1	–	1	–		
10	खैरागढ़– छुईखदान–गंडई						
11	मोहला– मानपुर–अंबागढ़ चौकी						
12	कबीरधाम	1	1	–	–		
13	बिलासपुर	–	1	1	–	1	1
14	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही						
15	मुंगेली	–	1	–	–		
16	रायगढ़	–	1	1	–		
17	सारंगढ़						
18	जांजगीर चांपा	–	1	–	1		
19	सक्ती						
20	कोरबा	1	1	–	–		
21	अंबिकापुर	–	–	1	–	1	–
22	कोरिया	–	1	1	–		
23	मनेन्द्रगढ़ –चिरमिरी–भरतपुर						
24	बलरामपुर	1	1	–	–		
25	सूरजपुर	–	1	–	1		
26	जशपुर	–	2	–	–		

कमांक	जिला	रिग मशीन की खनन क्षमता (मीटर में)				हाइड्रो-फैक्चर यूनिट	यील्ड टेस्ट यूनिट
		90 मीटर	120 मीटर	150 मीटर	185 मीटर		
27	बस्तर	–	2	–	–	1	–
28	दंतेवाड़ा	–	–	1	–		
29	बीजापुर	1	–	–	–		
30	सुकमा	1	–	–	–		
31	कोंडागांव	–	–	1	–		
32	कांकेर	1	1	–	–		
33	नारायणपुर	1	–	–	–		
	योग–	14	18	9	4	4	3

2. ग्रामीण नलजल प्रदाय योजना :

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति के लिए नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन जल जीवन मिशन के अतिरिक्त राज्य मद से भी किया जाता है। नलजल प्रदाय योजनाओं के अंतर्गत पाईप लाईन एवं उच्च स्तरीय टंकी के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण घरों में कार्यशील घरेलू नल कनेक्शन द्वारा 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन गुणवत्तायुक्त पेयजल की आपूर्ति किया जाना है।

3. समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाः

विगत कुछ समय से भू–गर्भीय जल स्रोतों के अत्यधिक दोहन से भू–गर्भीय जल स्तर में गिरावट परिलक्षित हुई है, वहीं पेयजल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। परिणामतः भूगर्भीय जल स्रोतों की निरंतरता बनाए रखने एवं पेयजल व्यवस्था के लिए भू–गर्भीय जल पर निर्भरता को कम करते हुए सतही स्रोतों का अधिकाधिक उपयोग आज की महती आवश्यकता हो गई है। प्रदेश में ऐसे बसाहटें जहां पर्याप्त मात्रा में भू–गर्भीय जल स्रोत उपलब्ध नहीं है अथवा प्राप्त भूजल की गुणवत्ता प्रभावित है, उन ग्रामों के समूहों के लिए सतही स्रोतों पर आधारित समूह जल योजनाएं क्रियान्वित की गई हैं।

विभागीय बजट से क्रियान्वित समूह ग्रामीण जल प्रदाय योजनाएँ :

प्रगतिरत् समूह ग्राम जल प्रदाय योजनाएं:-

क्र.	जिला	विकास खंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति
1.	बालोद	गुंडरदेही	ग्राम देवरी (द) समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	7	1095.68 1356.30 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 26.06.2018	90 प्रतिशत पूर्ण

समूह ग्रामों की पूर्ण जल प्रदाय योजनाएँ :-

क्र.	जिला	विकासखंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
1.	बेमेतरा	नवागढ़	विकासखंड नवागढ़ के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह ग्राम जलप्रदाय योजना	54	6297.30 7885.06 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 05.10.2018	जलप्रदाय चालू	12,595
2.	बेमेतरा	बेमेतरा	विकासखंड बेमेतरा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	57	6322.03 7816.24 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 14.10.2019	जलप्रदाय चालू	12,253
3.	बेमेतरा	साजा	विकासखंड साजा के खारे पानी से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	41	3825.00 4495.80 (पुनरीक्षित)	15.02.2013 27.05.2019	जलप्रदाय चालू	6,732
4.	राजनांदगांव	चौकी	विकासखंड चौकी के आर्सेनिक से प्रभावित ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	21	2041.63 2922.98 (प्रथम पुनरीक्षित) 3384.96 (द्वितीय पुनरीक्षित)	07.02.2015 16.03.2016 04.05.2017	जलप्रदाय चालू	7,596
5.	बस्तर (जगदलपुर)	बस्तर	विकासखंड बस्तर के फ्लोराईड प्रभावित ग्रामों की कोसारटेडा समूह जलप्रदाय योजना	33	4976.00 4968.00 (पुनरीक्षित)	18.02.2013 10.09.2018	जलप्रदाय प्रारंभ	6,659

क्र.	जिला	विकासखंड	जल प्रदाय योजना का नाम	ग्रामों की संख्या	स्वीकृत योजना की लागत (रु. लाखों में)	योजना स्वीकृति की दिनांक	योजना की अद्यतन स्थिति	घरेलू नल कनेक्शन की संख्या
6.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	धीरी एनीकट पर 24 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	24	2877.44	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	8,109
7.	राजनांदगांव	राजनांदगांव	मोहारा एनीकट पर आधारित 23 ग्रामों की समूह जलप्रदाय योजना	23	2334.60	18.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	6,431
8.	दंतेवाड़ा	गीदम	ग्राम छिंदनार समूह जलप्रदाय योजना	9	1835.36 2494.14 (पुनरीक्षित)	18.03.2016 18.06.2018	जल प्रदाय प्रारंभ	2,602
9.	कबीरधाम	बोड़ला	पोड़ी समूह जलप्रदाय योजना	11	1417.06 1618.99 (पुनरीक्षित)	09.02.2016 09.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	2,387
10.	सूरजपुर	सूरजपुर	हराटिकरा समूह जलप्रदाय योजना	18	3026.43	17.02.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	10,167
11.	बीजापुर	भोपालपटनम	भोपालपट्नम रालापल्ली की समूह जलप्रदाय योजना	19	1553.81	16.11.2016	जल प्रदाय प्रारंभ	1,589

निक्षेप मद के अंतर्गत स्वीकृत समूह ग्रामों की प्रगतिरत् जलप्रदाय योजनाएं

(दिसंबर 2023 की स्थिति में)

क्र.	जिला	योजना का नाम	सम्मिलित ग्रामों की संख्या	स्वीकृत दिनांक	कुल स्वीकृत राशि (रु. लाख में)	मद	भौतिक प्रगति अद्यतन
1	दन्तेवाड़ा	नेरली समूह जल प्रदाय योजना	14	11/01/2018	1482.55	एन.एम.डी.सी.	1,280 घरेलू नल कनेक्शन कार्यपूर्ण कर जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया था वर्तमान में सड़क निर्माण कार्य के कारण पेयजल प्रदाय बाधित है।
2	दन्तेवाड़ा	धुरली समूह जल प्रदाय योजना	17	11/01/2018	3866.00	एन.एम.डी.सी.	5,452 घरेलू नल कनेक्शन कार्यपूर्ण कर 3 ग्रामों में जल प्रदाय प्रारंभ कर दिया गया शेष ग्रामों में टेस्टिंग कार्य प्रगति पर
3	कोरबा	चोटिया समूह जल प्रदाय योजना	17	05/05/2017	3218.90	डी.एम.एफ.	4000 घरेलू नल कनेक्शन जलप्रदाय प्रारंभ

4 संचालन एवं संधारण :

राज्य बजट के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित हैण्डपंप योजना, गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में स्थापित आयरन रिमूव्हल प्लांट, फ्लोराइड रिमूव्हल प्लांट एवं आर.ओ. (रिवर्स ऑस्मोसिस) के संधारण कार्य किये जाते है। इसी क्रम में हैण्डपंपों के नियमित संधारण कार्यों के साथ–साथ स्थापित हैण्डपंपों के विशेष संधारण कार्य, राईज़र पाईप बदलने/बढ़ाने के कार्यों के अतिरिक्त 15 वर्षों से अधिक पुराने हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य भी प्रावधानित है। हैण्डपंपों के जीर्णोद्धार के कार्य में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपंप सेट (राईज़र पाईप सहित) की स्थापना एवं प्लेटफार्म का पुर्ननिर्माण कार्य सम्मिलित है।

ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित नलजल प्रदाय योजना एवं स्थल जल प्रदाय योजनाओं के संधारण के लिए स्वीकृत मापदण्ड अनुसार क्रमशः रू. 15,000 एवं रू. 5,000 के वार्षिक अनुदान, दो समान किस्तों में ग्राम पंचायतों को प्रदान करने का प्रावधान है।

(ब) नगरीय जल प्रदाय योजनाएं :

नगरीय जलप्रदाय योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन एवं क्रियान्वयन का कार्य स्थानीय निकायों की माँग एवं सहमति पर विभाग द्वारा किया जाता है। इन योजनाओं का वित्तीय ढांचा 70 प्रतिशत शासकीय अनुदान एवं 30 प्रतिशत नगरीय निकायों को ऋण के रूप में होता है। योजनाओं के हस्तांतरण उपरांत संचालन एवं संधारण का कार्य संबंधित नगरीय निकाय द्वारा किया जाता है। प्रगतिरत योजनाओं का विवरण निम्नानुसार है :–

प्रगतिरत् योजनाएं निम्नानुसार है :-

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
1	कांकेर	कांकेर	कांकेर नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2454.46 पुनरीक्षित 3200.55	30.05.2012 21.04.2020	जलप्रदाय प्रारंभ
2	कोरबा	कटघोरा	कटघोरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1073.28 पुनरीक्षित 2069.37	14.02.2013 16.11.2021	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
3	राजनांदगांव	डोंगरगांव	डोगरगांव आवर्धन जल प्रदाय योजना	1113.91 पुनरीक्षित 1284.81	06.10.2015 22.01.2022	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ
4	जांजगीर–चांपा	सक्ती	नया बाराद्वार नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	321.96	10.03.2015	आंशिक जलप्रदाय प्रारंभ

क्र.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
5	बेमेतरा	साजा	थानखम्हरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	336.88 / पुनरीक्षित 638.32	14.02.2013 03.10.2020	प्रगतिरत
6	मुंगेली	बिल्हा	पथरिया आवर्धन जलप्रदाय योजना	89.60 पुनरीक्षित 187.00	24.02.2014 28.10.2017	प्रगतिरत
7	मुंगेली	बिल्हा	सरगांव आवर्धन जलप्रदाय योजना	293.05	04.02.2015	प्रगतिरत
8	बीजापुर	बीजापुर	भैरमगढ़ आवर्धन जलप्रदाय योजना	1370.38	17.08.2017	प्रगतिरत
9	बीजापुर	बीजापुर	बीजापुर आवर्धन जलप्रदाय योजना	3448.70	31.03.2018	प्रगतिरत
10	धमतरी	सिहावा	मगरलोड–भैंसमुड़ी की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1023.96/ पुनरीक्षित 1354.78	26.03.2016 06.08.2021	प्रगतिरत
11	रायपुर	धरसींवा	खरोरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1932.88	23.08.2017	प्रगतिरत
12	जांजगीर–चांपा	चंद्रपुर	डभरा आवर्धन जलप्रदाय योजना	1139.88	30.03.2017	प्रगतिरत
13	बलौदाबाजार – भाटापारा	बिलाईगढ़	बिलाईगढ़ नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	2022.38	04.05.2016	प्रगतिरत
14	बलौदाबाजार–भाटापारा	कसडोल	पलारी आवर्धन जलप्रदाय योजना	1065.24	30.03.2017	प्रगतिरत
15	दुर्ग	दुर्ग ग्रामीण	उतई नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	1465.89	05.02.2016	प्रगतिरत
16	बालोद	डौंडीलोहारा	दल्लीराजहरा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	3165.66	04.06.2016	प्रगतिरत
17	बिलासपुर	कोटा	कोटा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1848.65	18.03.2019	प्रगतिरत
18	रायगढ़	लैलूंगा	लैलूंगा आवर्धन जल प्रदाय योजना	1164.99	28.03.2018	प्रगतिरत
19	रायगढ़	धरमजयगढ़	घरघोड़ा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	314.97 पुनरीक्षित 552.97	12.03.2013 24.05.2021	प्रगतिरत
20	रायगढ़	सारंगढ़	सारंगढ़ आवर्धन जल प्रदाय योजना	3447.80	28.03.2018	प्रगतिरत
21	रायगढ़	सारंगढ़	बरमकेला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1333.04	31.03.2017	प्रगतिरत

क.	जिले का नाम	विधानसभा क्षेत्र का नाम	योजना का नाम	योजना की स्वीकृत लागत (रू. लाख में)	स्वीकृति दिनांक	रिमार्क
22	कोरबा	तानाखार	पाली आवर्धन जलप्रदाय योजना	794.16	31.03.2017	प्रगतिरत
23	कोरबा	कटघोरा	छुरीकला आवर्धन जलप्रदाय योजना	1089.55	31.03.2017	प्रगतिरत
24	जशपुर	जशपुर	बगीचा आवर्धन जलप्रदाय योजना	977.56	31.03.2017	प्रगतिरत
25	जशपुर	पत्थलगांव	कोतबा आवर्धन जलप्रदाय योजना	801.37	31.03.2017	प्रगतिरत
26	कांकेर	भानुप्रतापपुर	चारामा नगर की आवर्धन जल प्रदाय योजना	933.31	26.02.2018	प्रगतिरत
27	बलरामपुर	रामानुजगंज	रामानुजगंज आवर्धन जलप्रदाय योजना	1274.55	31.03.2021	—

3.2 केंद्र प्रवर्तित/पोषित योजनाएं :

केन्द्रीय वित्त पोषण पर पेयजल एवं संबंधित अन्य योजनाओं का कियान्वयन विभाग द्वारा किया जा रहा है। विभाग में संचालित केन्द्र प्रवर्तित/पोषित योजना का विवरण निम्नानुसार हैः–

जल जीवन मिशन (जे.जे.एम.) :

क. दिनांक 01.04.2019 से भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा "जल जीवन मिशन" कार्यक्रम कियान्वित किया जा रहा है इस **कार्यक्रम में पूर्व से कियान्वित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी.) के समस्त घटकों को समाहित कर दिया गया है।**

15 अगस्त 2019 को लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वतंत्रता दिवस को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में **"जल जीवन मिशन"** की घोषणा की गई है। जिसका उद्देश्य वर्ष 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण घरों में "हर घर नल से जल" उपलब्ध कराया जाना है।

उद्देश्य :– प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को किफायती सेवा, न्यूनतम जल शुल्क प्रभार के बदले, नियमित और दीर्घकालीन आधार पर निर्धारित गुणवत्ता वाली पेयजल आपूर्ति, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाना, ताकि ग्रामीण समुदाय के जीवन स्तर में सुधार हो सके।

ख. संस्थागत तंत्र :-

i **राष्ट्रीय स्तर -** राष्ट्रीय जल जीवन मिशन (एन.जे.जे.एम.) एक निदेशालय के रुप में कार्य करेगा। इस मिशन के पास ग्रामीण समुदायों को दीर्घकालीक पेयजल उपलब्ध कराकर मिशन का सफल कार्यान्वयन करने हेतु आवश्यक सभी शक्तियां होगी।

ii **राज्य स्तर -** राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तर पर समन्वय और नीतिगत मार्गदर्शन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) का गठन किया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव, राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस. डब्ल्यू.एस.एम.) के सदस्य सचिव है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन सोसायटी के रुप मे पंजीकृत है। राज्य सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) को समस्त शक्तियां मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार प्रदान की गई हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.) में (i) शीर्ष समिति (ii) कार्यकारिणी समिति है।

(i) **शीर्ष समिति** :– शीर्ष समिति के अध्यक्ष राज्य के मुख्य सचिव एवं सदस्य सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के भारसाधक सचिव हैं।

(ii) **कार्यकारिणी समिति** :– कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष मिशन संचालक, जल जीवन मिशन एवं सदस्य सचिव प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग हैं।

राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन को जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु समस्त वित्तीय शक्तियां प्रत्यायोजित की गई है।

iii **जिला स्तर -** जिला स्तर पर जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) के अध्यक्ष जिला कलेक्टर एव सदस्य सचिव, कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हैं।

मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक 13.02.2021 में पारित निर्णय अनुसार जल जीवन मिशन के कियान्वयन हेतु एकल/समूह में ग्राम की नलजल योजना/रेट्रोफिटिंग कार्यों (ग्राम के अंदर के कार्यों) का एकल/समूह में निविदा के माध्यम से कियान्वयन हेतु विभिन्न कार्यों–सर्वे, डीपीआर, प्रशासकीय स्वीकृति, निविदा आमंत्रण, निविदा प्रकरण के निराकरण, अनुबंध करने, कार्यादेश जारी करने एवं कियान्वयन करने संबंधित समस्त अधिकार एवं रु. 5 करोड़ तक के वित्तीय अधिकार जिला जल एवं स्वच्छता मिशन को सौंपा गया है।

iv. **ग्राम पंचायत स्तर -** ग्राम जल स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी.) अंतःग्राम जल आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, संचालन और रख–रखाव हेतु समिति गठित है।

हर ग्रामीण घर में घरेलू नल कनेक्शन से पेयजल उपलब्ध कराना समिति की मुख्य भूमिका है। ग्राम सभा संकल्प और सामुदायिक योगदान के माध्यम से प्रतिबिम्बित समुदाय की तत्परता, गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की योजना बनाने के कार्य भी समिति द्वारा किया जाता है। संविधान के 73वें संशोधन में परिकल्पित विधिमान्य इकाई के रुप में समिति कार्य करती है।

v. कार्यान्वयन सहायता एजेंसियां (आई.एस.ए.)-

गैर सरकारी संगठनों/स्वयंसेवी संगठनों/महिला स्व–सहायता समूहों को आईएसए कहते हैं। वे अंतःग्राम आपूर्ति एवं संरचना की आयोजना, डिजाईन, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख–रखाव के लिए समुदायों को प्रेरित करने और साथ लाने में भागीदार के रुप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन (एस.डब्ल्यू.एस.एम.)/जिला जल एवं स्वच्छता मिशन (डी.डब्ल्यू.एस.एम.) द्वारा एक पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से पानी की आपूर्ति और स्वच्छता, ग्रामीण विकास, जल संसाधन प्रबंधन, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, स्वास्थ्य सेवा, आजीविका, आदि के क्षेत्र में काम करने वाले उपयुक्त जिलेवार गैर–सरकारी संगठनों की नियुक्तियॉ की गई है।

vi. जल जीवन मिशन के कार्यों के लिए नोडल विभाग -

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, जल जीवन मिशन के कार्यों के कियान्वयन हेतु नोडल विभाग है।

vii. सेक्टर साझेदार -

सेक्टर साझेदार के रुप में संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां (यूनिसेफ) एवं गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) कार्यरत् हैं।

ग. वित्तीय आयोजना -

(1) कव्हरेज मद - जल जीवन मिशन कार्यकम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 93 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद के अंतर्गत ग्राम/बसाहटों में पेयजल आपूर्ति के कार्य किये जाने का प्रावधान है। साथ ही जलगुणवत्ता जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड एवं भारी तत्व (हैवी मेटल) से प्रभावित बसाहटों में शुद्व पेयजल व्यवस्था करने का भी प्रावधान हैं। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 50:50 एवं सामुदायिक अंशदान 10/5 प्रतिशत है।

(2) सपोर्ट मद :- जल जीवन मिशन कार्यकम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 5 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। सपोर्ट मद के अंतर्गत योजनाओं के

प्रचार–प्रसार, जन–जागरूकता एवं अन्य सहायक गतिविधियों के अंतर्गत कम्प्यूटरीकरण कार्य आदि हेतु व्यय किये जाने का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

(3) **जल गुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानी मद :-** जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत कुल उपलब्ध आबंटन का 2 प्रतिशत राशि इस मद के अंतर्गत व्यय किया जाना प्रावधानित है। इस मद में पेयजल गुणवत्ता के परीक्षण हेतु जल परीक्षण प्रयोगशाला हेतु उपकरण एवं केमिकल्स की आपूर्ति, फील्ड टेस्ट किट का कय, जल परीक्षण से संबंधित रसायनों का कय तथा जलगुणवत्ता प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु व्यय का प्रावधान है। इस घटक हेतु केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है।

समुदाय का अंशदान-

i. योजना के लागत में अंशदान (पूंजीगत व्यय)–

क. सामान्य क्षेत्र में इन विलेज वाटर सप्लाई संरचना के लिए 10 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ख. 50 प्रतिशत से अधिक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले ग्रामों हेतु 5 प्रतिशत अंशदान नगद/वस्तु/श्रम के रूप में प्रावधानित है।

ग. पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 5 प्रतिशत अंशदान है।

घ. अन्य स्रोतों से प्राप्त अनुदान या दान के मामले में, शेष राशि, 10 प्रतिशत/5 प्रतिशत (जैसा भी मामला हो), समुदाय का अंशदान है।

च. समुदाय मूल मॉडल से अधिक सेवा प्रदाय की योजना बना सकता है, इस शर्त के अधीन, कि मूल मॉडल से परे पूरी लागत उनके द्वारा वहन की जाएगी।

ii. योजना के संचालन–संधारण हेतु अंशदान (संचालन संधारण व्यय)–

क. संबंधित राज्यों के द्वारा नल कनेक्शन शुल्क, जल–कर दरें एवं अन्य शुल्क निर्धारण करने तथा करों की वसूली का अधिकार पंचायतों को सौंपे जाने की कार्यवाही प्रावधानित है।

ख. योजना की लागत का 10 प्रतिशत राशि संचालन एवं संधारण कार्य हेतु अनुदान पारितोषक के रूप में प्रदान की जावेगी जिसका उपयोग योजना के आकस्मिक संचालन एवं संधारण में किया जावेगा जिसकी भरपाई समुदाय के द्वारा जल कर से किया जावेगा, जो रिवाल्विंग फंड के रूप में रहेगा।

घ. योजनाएं एवं कियान्वयन :-

योजनांतर्गत प्रत्येक ग्रामीण घर में एक कियाशील घरेलू नल कनेक्शन, जिसके माध्यम से 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन, निर्धारित गुणवत्ता का दीर्घकालीक आधार पर नियमित जलप्रदाय किफायती शुल्क पर दिया जावेगा। इसके लिये निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी एक श्रेणी के तहत गांव के भीतर स्रोत के विकास सहित जल आपूर्ति अधो–संरचना का निर्माण करके प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को एफएचटीसी प्रदान करना है :–

1. अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी देने के लिए पूर्ववर्ती राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन. आर.डी.डब्ल्यू.पी) के तहत चल रही योजनाओं के रेट्रोफिटिंग।
2. पूर्ण हो चुकी ग्रामीण जल आपूर्ति योजनाओं को जल जीवन मिशन के अनुकूल बनाने के लिए उनकी रेट्रोफिटिंग।
3. निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त भूजल/सतही स्रोत वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
4. शोधन की आवश्यकता वाले किंतु पर्याप्त भूजल वाले गांवों में एकल ग्राम योजना।
5. जलग्रिड/क्षेत्रीय जल आपूर्ति योजना के साथ समूह जलप्रदाय योजना।
6. एकांत/जनजातीय छोटे गांवों/बसाहटों में लघु सौर ऊर्जा आधारित पाइप जल आपूर्ति।

च. जल जीवन मिशन के तहत एकीकृत जल प्रबंधन और आपूर्ति :-

स्रोत सुदृढ़ीकरण/संवर्धन, सभी सार्वजनिक भवनों पर वर्षा जल संचयन, बोरवेल रिचार्ज इन्फ्रास्ट्रक्चर एवं स्रोत स्थिरता हेतु मनरेगा, एकीकृत जल प्रबंधन परियोजना (आई.डब्ल्यू.एम.पी.), वित्त आयोग के अनुदान, राज्य योजना, एमपी लेड, एमएलए लेड, सीएसआर आदि मदों के अभिसरण से बुनियादी ढाँचे का विकास, निर्माण एवं पुनर्जिवीकरण।

i. अपशिष्ट जल प्रबंधन।

ii. अपशिष्ट जल संवहन एवं संकलन हेतु नालियों का निर्माण ।

iii. सामुदायिक सोख्ता गड्ढा/ अपशिष्ट स्थिरीकरण हेतु टैंको का निर्माण।

छ सहायक गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन कार्यकम (जेजेएम) के अंतर्गत की जाने वाली सहायक गतिविधियों हेतु निर्धारित प्रावधानित राशि 5% अंतर्गत निम्नानुसार गतिविधियाँ प्रस्तावित हैं–

i. सूचना शिक्षा एवं संचार गतिविधियां :–

प्रशिक्षण, कार्यशाला, व्यक्तिगत् संपर्क, समाचार पत्र विज्ञापन, एस.एम.एस. से प्रचार, कला जत्था, मेला में प्रदर्शनी, दिवाल लेखन, बेनर, होर्डिंग, पोस्टर, पांपलेट, अच्छे कार्य एवं अनुभव के आदान प्रदान हेतु अवलोकन/भ्रमण कार्यक्रम (एक्सपोजर विजिट), प्रिन्ट सामाग्रियों का वितरण, सम्मान समारोह, रैली, सामाजिक जागरूकता/गतिशीलता, परामर्श, गीत–संगीत, नाटक, रेडियो, टेलीविजन, समाचार पत्र एवं विभिन्न माध्यमों द्वारा पेयजल के विषय पर प्रचार–प्रसार गतिविधियाँ।

ii. सामुदायिक सहभागिता एवं प्रशिक्षण :–

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम में समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु ग्राम सभाओं का आयोजन, सामुदायिक रैली, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों की बैठक, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं स्थानीय निकायों के सदस्यों को ग्रामीण पेयजल योजनाओं के परिकल्पना, अनुश्रवण एवं संचालन हेतु प्रशिक्षण तथा मैदानी स्तर के अमले के साथ–साथ विभागीय अभियंताओं का प्रशिक्षण आदि।

iii. मैनेजमेन्ट इनफार्मेशन सिस्टम एवं अन्य सहायक गतिविधियॉ :–

उपखण्ड़ स्तर तक के कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण, प्रिंटर एवं यू.पी.एस. आदि का क्रय, सिस्टम सॉफ्टवेयर, जी.आई.एस. डाटा प्रोडक्ट एवं एलाईड गतिविधियाँ, लोक शिकायत निदान पद्धति एवं उपग्रह छायाचित्रों पर आधारित एच.जी.एम. मैप की सहायता से भूगर्भीय जल स्रोतों का चिन्हांकन, समस्त पेयजल स्रोतों का जी.आई.एस. मैपिंग एवं आँकड़ों के संकलन का कार्य, मूल्यांकन एवं अनुश्रवण कार्य, अनुसंधान एवं विकास परियोजनाएँ आदि।

ज. विविध गतिविधियां :-

(क) स्वतंत्र तृतीय पक्ष निरीक्षणकर्ता एजेन्सी द्वारा मूल्यांकन एवं सम–सामयिक अनुश्रवण।

(ख) प्रदान किये गये घरेलू नल कनेक्शनों एवं उनकी पुष्टि के आधार पर राशि जारी किया जाना।

(ग) ग्राम में FHTC से नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता के जल प्रदाय को डाटा को आईओटी/आई–क्लाउड से पॉयलट प्रोजेक्ट के तहत मानिटरिंग किया जाना।

(घ) डिजीटल तकनीक का वृहद उपयोग।

जल जीवन मिशन अंतर्गत योजनाओं का क्रियान्वयन :–

(अ) जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -

जल जीवन मिशन/अभिसरण के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 31.12.2023 की स्थिति निम्नानुसार हैः–

विवरण	संख्या	रनिंग वॉटर युक्त	प्रतिशत
शाला	46,280	43,980	95
आंगनबाड़ी	45,731	41,720	91
आश्रमशाला	2,468	2,468	100
ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र	5,374	5,243	98
ग्राम पंचायत भवन	10,899	6,600	61

ब) ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कार्यः-

राज्य में कुल 49.99 लाख ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन से लाभान्वित किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए जल जीवन मिशन अंतर्गत राशि प्रस्तावित कार्ययोजना राशि रू. 11,229.58 करोड़ की स्वीकृति भारत सरकार पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा दी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में नलजल योजना क्रियान्वित कर (रेट्रोफिटिंग, एकल नलजल प्रदाय योजना एवं सोलर आधारित जलप्रदाय योजनाएं 29.07 लाख ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय कर लाभान्वित किया जाना लक्षित है।

ग्राम पंचायत झीगादोहर जिला सूरजपुर

जिलेवार स्वीकृत रेट्रोफिटिंग एकल/सोलर/आधारित योजनायें:-

स.क.	जिला	ग्रामों की संख्या	एकल			रेट्रो			सोलर		
			योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.
1	बालोद	690	496	55994.05	94224	203	23621.07	59933	87	2931.18	4776
2	बलौदाबाजार	736	774	85484.38	157355	246	35804.02	106703	68	2654.93	3439
3	बलरामपुर	636	2012	127165.67	170267	119	10669.25	21720	409	21243.57	24252
4	बस्तर	614	419	53098.39	85983	211	24549.11	66925	174	25629.68	36153
5	बेमेतरा	688	434	44131.00	90096	292	21018.72	62900	58	1605.04	5246
6	बीजापुर	563	490	35888.71	34681	84	6725.90	13976	495	37895.64	39574
7	बिलासपुर	668	659	46859.86	112369	250	25910.40	92318	170	6286.20	11896
8	दंतेवाड़ा	225	237	25036.14	36955	53	6366.12	15814	226	24954.42	42484
9	धमतरी	623	461	29020.55	45126	260	24518.12	76613	158	5579.81	6594
10	दुर्ग	385	168	18934.84	41446	219	22932.44	73507	12	562.02	639
11	गरियाबंद	666	691	40554.70	83635	182	19250.00	45952	244	7152.83	11496
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	222	348	23555.69	55872	215	9654.65	26825	177	5059.22	10546
13	जांजगीर–चांपा	425	888	88179.00	179054	266	48873.89	120358	377	14554.92	24908
14	सक्ती	456	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	जशपुर	755	3221	129750.84	179274	112	5805.90	20666	495	17110.11	24142
16	कबीरधाम	1067	740	70600.77	104077	241	22561.99	72319	194	8156.47	8758
17	कांकेर	959	1142	90699.52	103919	158	17723.21	40505	364	16300.56	17661
18	कोण्डागांव	571	543	59660.48	85684	85	13029.74	33666	70	3378.44	5992
19	कोरबा	703	1081	80387.60	151423	94	11533.21	46335	396	11523.66	18792
20	कोरिया	242	1179	54440.33	95611	154	13034.45	33862	586	17979.45	23652
21	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	392	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	महासमुंद	1117	864	67267.38	147848	266	23465.23	73353	27	803.56	2103
23	मुंगेली	674	576	49818.65	108031	125	15857.15	55351	107	3556.03	6710
24	नारायणपुर	379	379	25797.33	20602	43	3571.55	6442	382	27169.88	23336
25	रायगढ़	919	1310	88078.17	190605	541	42623.83	122524	440	18825.45	29730
26	सारंगढ़–बिलाईगढ़	706	1	272.00	-	-	-	-	-	-	-
27	रायपुर	477	277	32884.95	60313	249	33574.20	100215	56	2457.43	5212

स.क.	जिला	ग्रामों की संख्या	एकल			रेट्रो			सोलर		
			योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.	योजनाओं की संख्या	प्रशासकीय स्वीकृति लागत	एफ.एच.टी.सी.
28	राजनांदगांव	662	1126	76102.18	139354	497	38777.86	90388	419	19626.74	26707
29	मोहला–मानपुर – अंबागढ़ चौकी	492	-	-	-	1	69.48	208	-	-	-
30	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	439	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	सरगुजा	398	1970	102150.23	155683	114	9344.54	24197	528	15771.32	14125
32	सुकमा	543	383	29123.11	42794	55	5769.23	13409	300	20560.46	29829
33	सूरजपुर	571	804	60855.96	131189	173	15784.47	50597	470	19163.31	22791
	कुलः–	19663	23673	1691792.48	2903470	5508	552419.73	1567581	7489	358492.33	481543

लक्षित कार्यों की पूर्ति हेतु जल जीवन मिशन अंतर्गत दिनांक 31.12.2023 तक 36,66,849 घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय किये गये हैं। जिलेवार विवरण निम्नानुसार हैः-

कमांक	जिला	कुल ग्रामीण परिवार (01.04.2023 की स्थिति में)	लाभान्वित ग्रामीण परिवार (31.12.2023 की स्थिति में)
1	बीजापुर	56,287	29,791
2	जशपुर	2,14,094	126,133
3	बलरामपुर	1,97,552	120,612
4	सुकमा	66,264	40,780
5	कोरबा	2,06,953	129,727
6	सरगुजा	1,85,930	117,632
7	नारायणपुर	30,738	19,988
8	मोहला–मानपुर–अंबागढ़ चौकी	64,593	41,967
9	कांकेर	1,51,157	100,069
10	सूरजपुर	1,64,515	109,600
11	बिलासपुर	2,46,673	159,801
12	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	83,350	56,531
13	दंतेवाड़ा	50,732	34,070
14	सारंगढ़–बिलाईगढ़	1,62,786	108,939
15	कोरिया	51,836	35,493
16	बलौदाबाजार	2,31,520	165,841

कमांक	जिला	कुल ग्रामीण परिवार (01.04.2023 की स्थिति में)	लाभान्वित ग्रामीण परिवार (31.12.2023 की स्थिति में)
17	गोरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	84,537	57,783
18	रायगढ़	2,42,821	172,393
19	बस्तर	1,70,792	124,179
20	कोण्डागांव	1,26,713	95,336
21	गरियाबंद	1,53,670	117,797
22	महासमुन्द	2,40,284	185,219
23	कवर्धा	1,99,294	153,780
24	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	74,169	59,532
25	सक्ती	1,56,663	126,220
26	बेमेतरा	1,77,440	141,215
27	बलोद	1,76,198	141,664
28	जांजगीर–चांपा	2,07,283	174,712
29	दुर्ग	1,55,843	128,353
30	मुंगेली	1,66,912	142,642
31	राजनांदगांव	1,56,789	135,508
32	रायपुर	1,90,001	165,785
33	धमतरी	1,54,784	147,757
	योग–	**49,99,173**	**36,66,849**

जल जीवन मिशन अंतर्गत समूह जल प्रदाय योजना हेतु जारी निविदाओं में योजनाओं की प्रशासकीय स्वीकृति का जिलेवार विवरण

स्थिति दिनांक 31.12.2023

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
1.	बलौदाबाजार	गिरौदपुरी	23	17697	5649.25
2.		खर्वे	8	1654	629.81
3.		बिटकुली–रामपुर	41	11798	6155.19
4.		आगमधाम (खड़वा)	50	16618	7551.21
5.		अहिल्दा पण्डरिया	44	20367	8485.00
6.	गरियाबंद	सुपेबेड़ा	9	2074	1034.32
7.	धमतरी	सांकरा	40	18631	3145.05
8.		घटुला	36	10827	3245.26
9.	महासमुंद	समोदा–अछोला	48	12395	6658.00

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
10.	दुर्ग	चंदखुरी–कोलिहापुरी–पिसेगांव	31	19210	4507.37
11.		ओदरागहन–सुरपा	19	5486	2119.25
12.		जेवरा–सिरसाखुर्द–भटगांव	17	11753	2580.95
13.		निकुम	13	7443	2629.90
14.		कौही	14	6053	2004.23
15.		अंजोरा ढ़ाबा	50	13785	5965.69
16.		मोतिमपुर	57	12555	6445.89
17.	बालोद	कनेरी	28	9027	4221.00
18.		हीरापुर	57	20069	7769.00
19.		जुंगेरा	32	8780	5041.00
20.		डौण्डीलोहारा	31	11680	5500.00
21.	राजनांदगांव	मोंगरा	330	70121	39647.41
22.		बुढ़ानभाट	31	7300	2877.85
23.		एल.बी. नगर	20	6218	2135.50
24.		माथलडबरी	12	4115	1461.54
25.	कबीरधाम	रेंगाखार	15	3556	1721.00
26.		धमकी बम्हनी	16	4235	1930.14
27.	बेमेतरा	कुम्हीगुड़ा	85	18805	11054.56
28.		अमलडीहा	72	19448	10607.93
29.		खम्हरिया	62	14356	7046.81
30.	बिलासपुर	मंगला पासिद	23	6639	3442.00
31.		हरदी–भटचौरा	21	7626	3823.17
32.		चपोरा	18	5749	3042.50
33.		भैसाझार–मोहनभाठा–खम्हरिया	31	14067	7327.56
34.	मुंगेली	मदकू	34	8433	4351.54
35.		खुड़िया	206	59612	29011.99
36.	जांजगीर–चांपा	केरा	19	12407	5944.00
37.		पामगढ़	13	10567	4223.00

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
38.	रायगढ़	भद्रा रीवापार	84	27570	10159.32
39.		घोठला छोटे हरदी	69	18637	6875.24
40.		भेलवा टिकरा–सम्बलपुरी	29	6924	3665.00
41.		कलमा कोड़ातराई	58	15202	5804.00
42.		बरगांव–कंचनपुर	102	26169	9834.32
43.		तमनार	54	18134	9127.81
44.	जीपीएम	बसंतपुर–जटादेवरी	16	5457	2347.07
45.	कोरबा	एतमा नगर	245	72619	43196.88
46.	सूरजपुर	बिहारपुर	19	7961	2835.40
47.		खर्रा–इन्दरपुर	19	4326	2044.47
48.		गांगीकोट–केनापारा	25	7248	3113.99
49.		हर्राटिकरा–2	8	2652	1416.87
50.		रूनियाडीह	26	10199	3755.40
51.		दुग्गा–बतरा	16	6355	2784.34
52.		झिलमिली	55	22007	6616.19
53.		बड़वार	21	5556	2642.77
54.		बगड़ा–केरता	28	8866	4539.93
55.		सारासौर	52	17189	7181.07
56.		रामानुजनगर–प्रेमनगर – नवगई (बांगो)	144	55314	27947.44
57.	कोरिया	घुटरा	29	4517	2329.34
58.		कटघोड़ी	35	6539	2935.85
59.		लाई	20	4288	2043.42
60.		खरलाधार	30	4042	1642.49
61.		चैनपुर	25	6271	2783.71
62.		बरदर	27	7484	4054.18
63.		नरकेली	24	4748	2472.79
64.		बरदिया	43	13034	4695.52
65.		उधनापुर	29	8138	2783.68
66.		तामडांड	30	9299	4760.37

क्र.	जिला	योजना का नाम	प्रस्तावित ग्रामों की संख्या	FHTC की संख्या	योजना की लागत (लाख में)
67.	सरगुजा	दरिमा– करजी	45	16081	6151.24
68.		खैरबार	32	13144	6125.80
69.		पोड़ीखुर्द–सलका	80	27575	10636.02
70.		देवीटिकरा	33	10684	5494.76
योग–			**3212**	**985391**	**304671.74**

जल जीवन मिशन के अंतर्गत भौतिक एवं वित्तीय प्रगति :

भौतिक प्रगति :

1.	31 मार्च, 2021 की स्थिति में उपलब्ध कनेक्शन	5,66,473
2.	वित्तीय वर्ष 2021–22 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन	4,45,107
3.	वित्तीय वर्ष 2022–23 में उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन	10,80,547
4.	01 अप्रैल, 2023 से 3112.2023 तक उपलब्ध कराये गये कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन	15,74,722
5.	अद्यतन में कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन (31.12.2023) कुल	36,66,849

हर घर जल प्रमाणित ग्रामों की जिलेवार जानकारीः-

कमांक	जिला	कुल ग्रामों की संख्या	हर घर नल से जल ग्रामों की संख्या	
			घोषित	प्रमाणित
1	बालोद	689	37	19
2	बलौदाबाजार	735	44	26
3	बलरामपुर	634	7	5
4	बस्तर	614	55	15
5	बेमेतरा	688	118	20
6	बीजापुर	562	35	11
7	बिलासपुर	666	22	5
8	दंतेवाड़ा	225	23	5
9	धमतरी	621	549	69
10	दुर्ग	385	52	17

कमांक	जिला	कुल ग्रामों की संख्या	हर घर नल से जल ग्रामों की संख्या	
			घोषित	प्रमाणित
11	गरियाबंद	666	54	9
12	गौरेला–पेण्ड्रा–मरवाही	221	7	2
13	जांजगीर–चांपा	425	23	7
14	जशपुर	751	23	11
15	कांकेर	1065	62	17
16	कवर्धा	959	82	16
17	खैरागढ़–छुईखदान–गंडई	438	69	12
18	कोण्डागांव	570	42	14
19	कोरबा	703	27	10
20	कोरिया	242	7	5
21	महासमुन्द	1112	120	33
22	मनेन्द्रगढ़–चिरमिरी–भरतपुर	392	5	3
23	मोहला–मानपुर–अबांगढ़चौकी	488	30	8
24	मुंगेली	672	88	32
25	नारायणपुर	376	14	6
26	रायगढ़	919	111	15
27	रायपुर	477	139	61
28	राजनांदगांव	662	100	20
29	सक्ती	456	43	17
30	सारंगढ़–बिलाईगढ़	706	45	14
31	सुकमा	389	15	4
32	सुरजपुर	543	18	12
33	सरगुजा	571	9	7
	योग–	**19622**	**2075**	**527**

ग्राम झालखम्हरिया, जिला महासमुन्द में कमार जन जाति परिवार हेतु कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन

सोलर आधारित जलप्रदाय योजना-

राज्य की ग्रामीण बसाहटें जो वनांचल/पहाड़ी बसाहटें/विरल हैं जहां नल जल योजना के क्रियान्वयन में लागत अधिक आती है वहां सोलर आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन जलजीवन मिशन अंतर्गत किया जा रहा है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना में सोलर पंप स्थापना हेतु क्रियान्वयन एजेन्सी राज्य अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (क्रेडा) है। सोलर आधारित जलप्रदाय योजना अंतर्गत दिसम्बर 2023 की स्थिति में 7,489 सोलर पंप स्थापित कर कुल 4,09,845 ग्रामीण परिवार, कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से लाभान्वित किये गये।

जल गुणवत्ता अनुश्रवण :

पेयजल गुणवत्ता की अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के जिलों के समस्त पेयजल स्त्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर करते हुए जी.पी.एस. डाटा कलेक्शन, सेनेटरी सर्वे सहित प्रत्येक स्त्रोत की डिजिटल जी.आई.एस. मैपिंग के कार्य प्रगतिरत् है।

राज्य में एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त एक राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला रायपुर में कार्यरत् हैं। जहाँ जल नमूनों में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष तत्व जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, लेड आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

राज्य में 28 जिला स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशालाएं कार्यरत हैं जिसमें से अद्यतन में कुल 27 जिला जल परीक्षण प्रयोग शालाएं एन.ए.बी.एल. से मान्यता प्राप्त है।

उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला, भनुप्रतापपुर, जिला कांकेर

राज्य में 24 उपखण्ड स्तरीय जलपरीक्षण प्रयोगशाला कार्यरत् हैं जिसमें से 14 उपखण्ड स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एन.ए.बी.एल. से संबद्धता (रिकनाईज्ड) प्राप्त कर ली गयी है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक ग्राम की 5–5 महिलाओं को कुल 1,11,234 (जल बहिनी) को प्रशिक्षण प्रदाय किया जाकर पेयजल परीक्षण का कार्य किया जा रहा है।

जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्रः

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधनों की कार्य कुशलता में वृद्धि एवं प्रयोगशाला के संसाधनों को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु राज्य स्तर पर संसाधन केन्द्र कार्यरत् हैं।

शालाओं में रनिंग वॉटर के माध्यम से पेयजल व्यवस्था

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) की गतिविधियाँ :-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्रियान्वयन सहयोगी संस्थाओं (आई एस ए) के रूप में राज्य के विभिन्न जिलों में 97 संस्थाओं के कुल 307 टीम को जल जीवन मिशन से सम्बंधित कार्यों के क्रियान्वयन में लगाया गया है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.एम.आई. प्रशिक्षण एवं आई.ई.सी. गतिविधियाँ, व्ही.डब्ल्यू.एस.सी. की बैठकों का आयोजन तथा समुदायों के बीच जन जागरूकता अभियान एवं कार्यक्रम के क्रियान्वयन में समुदायों की भागीदारी को सुनिश्चित कराया जा रहा है।

राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण के लिए 3 प्रशिक्षण शिविर आयोजित कर कुल 140 आई.एस.ए. कार्यकर्ताओं को मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षण दिया गया। इसी प्रकार 22 जिलों में कुल 1167 आई.एस.ए. कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.) :—

जल जीवन मिशन के अंतर्गत **तृतीय पक्ष निरीक्षण संस्था (टी.पी.आई.ए.)**, राज्य स्तर पर 19 संस्थाएं एवं जिला स्तर पर 28 जिलों में 19 संस्थाओं के कुल 85 टीम को, जल जीवन मिशन के अंतर्गत सम्बंधित कार्यों के कियान्वयन में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाया गया है।

सोशल मीडिया प्रचार—प्रसार :—

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता जॉच एवं निगरानी को सुनिश्चित करने के लिए दो सप्ताह का **'जलगुणवत्ता पखवाड़ा'** अभियान के रूप में सभी जिलों में आयोजित किया गया। जहां पंचायत स्तर के स्थानीय समुदाय एवं **'जल बहिनी'** के सहयोग से पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण, इसके महत्व, जल जनित बीमारियों, स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित रख—रखाव एवं भण्डारण के विभिन्न पहलुओं के बारे में जन जागरूक अभियान चलाया गया।

वीडियो कांफ्रेंसिंग में प्रधानमंत्री से हुई बात

मनकुंवारी ने मोदी को बताया अब नहीं पीते ढोड़ी का पानी

भास्कर न्यूज | जशपुरनगर

जशपुर जिले की कोरवा जनजाति की मनकुंवारी बाई से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सीधी बातचीत की। उन्होंने पूछा कि बिजली और पानी मिलने से जीवन में कितना बदलाव आया है। इस पर मनकुंवारी बाई ने बताया कि हम पहाड़ी कोरवा हैं, पहले ढोड़ी, कुंआ का पानी पी रहे थे, बहुत दूर एक से दो किमी पानी लेने जाना पड़ रहा था, गंदा पानी पीने के कारण हम लोग हमेशा उल्टी-दस्त के शिकार होते थे। अब हम जल जीवन मिशन के तहत लगे नल से शुद्ध पानी पी रहे हैं तो बीमारी से बच रहे हैं। साथ ही समय का भी बचत हो रहा है। मनकुंवारी ने बताया कि अब हम गैस से बहुत जल्दी खाना बना ले रहे हैं। पहले हम जंगल से जाकर लकड़ी लाते थे, जिससे भोजन बनने में समय लगता था। कई बार बच्चे भोजन के लिए रोते भी थे। अब गैस से भोजन पकाने में समय की बचत हो रही है और बच्चे समय पर स्कूल भी जा पा रहे हैं।प्रधानमंत्री जनमन योजना से लाभान्वित विशेष पिछड़ी जनजाति परिवारों के लिए सोमवार का दिन बहुत खास था। जशपुर जिले की बगीचा तहसील की कुटमा ग्राम पंचायत के सलखाडाण्ड गांव की मनकुंवारी बाई ने पीएम जनमन योजना के कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उनसे संवाद किया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदे[...] साय, विधायक रायमुनी भगत औ[...] गोमती साय भी उपस्थित थीं। उन्हों[...] पहाड़ी कोरवा मनकुंवारी बाई [...] जब पूछा कि अपने बारे में बताइ[...] तो उन्होंने खुद को एक जनम[...] संगी बताते हुए प्रधानमंत्री जनम[...] योजनाओं से मिले लाभ और पह[...] तथा अब के हालात में हुए परिव[...] की जानकारी दी।

'स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान' राज्य के प्रत्येक जिला एवं ग्राम पंचायत स्तर पर मनाया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य पेयजल की गुणवत्ता जांच, स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जन जागरूकता का प्रसार किया जाना है।

ग्राम पंचायत एवं जिला स्तर पर आई.ई.सी. गतिविधियों के तहत कुल 9030 प्रचार—प्रसार गतिविधियां की गयी।

2 अक्टूबर से 26 जनवरी, 2023 तक स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान के दौरान राज्य के प्रत्येक जिला एवं ग्रामपंचायत स्तर पर मनाया गया, जो पेयजल की गुणवत्ता जाँच पर आधारित यह अभियान स्वच्छ एवं सुरक्षित पेयजल के महत्व के बारे में जन जागरूकता पैदा करना रहा ।

6 जून से 6 सितम्बर, 2023 तक जल संरक्षण एवं संवर्धन अभियान के दौरान राज्य के प्रत्येक जिला एवं ग्रामपंचायत स्तर पर मनाया गया। जहाँ ग्राम के पेयजल स्रोत के संरक्षण एवं संवर्धन सहित वर्षा जल के

संचयन तथा भू–जल पुनर्भरण जैसे कार्यों में स्थानीय लोगों एवं निकायों/संस्था को पंचायत स्तर पर जोड़ते हुये सम्पूर्ण जल प्रबंध एवं संवर्धन से सम्बंधित कार्य किये जा रहे हैं ।

11 दिसम्बर से 11 जनवरी, 2024 तक "स्वैच्छिक दिवार लेखन एवं चित्रकारी" अभियान का ग्राम–पंचायत स्तर पर क्रियान्वयन किया गया ।

क्षमता विकास गतिविधियां :-

क्षमता विकास के लिए भारत सरकार के चयनित संस्थान (के.आर.सी.) के माध्यम से लेवल–2 के लिए कुल 17 ट्रेनिंग आयोजित किये गये जिसमें 297 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इसी प्रकार लेवल–3 के लिए कुल 54 ट्रेनिंग आयोजित किये गये जिसमें 2914 प्रतिभागियों द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त किया गया

पंचायत प्रतिनिधियों का लेवल-3 चार दिवसीय आवासीय के.आर.सी. प्रशिक्षण जिला-जशपुर

ग्राम पंचायतों को जल प्रदाय योजनाओं के सुचारू संचालन एवं संधारण हेतु प्रशिक्षित मानव संसाधन की आवश्यकता होगी। इस हेतु जलजीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के इच्छुक प्रतिभागी को प्लंबर, इलेक्ट्रेशियन, फिटर, पंप चालक का प्रशिक्षण, कौशल विकास प्रशिक्षण हेतु 371 प्रशिक्षण संख्या के अंतर्गत 13109 प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया।

5 जिलों के युवाओं का 11 दिवसीय कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम जिला-धमतरी

विकसित भारत संकल्प यात्राः-

विकसित भारत संकल्प यात्रा एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसका आयोजन दिनांक 15 नवम्बर, 2023 से 26 जनवरी, 2024 तक ग्राम–पंचायतों में प्रचार–वैन के माध्यम से भारत सरकार के विभिन्न योजनाओं और सेवाओं व सुविधाओं के बारे में आम जनता के बीच जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। साथ ही इस अभियान के दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत वैसे सभी ग्राम–पंचायत जो 100% क्रियाशील कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन से आच्छादित हैं, एवं "हर घर जल" घोषित किये जा चुके हैं।

उन ग्राम–पंचायतों को हर घर जल ग्राम हेतु अभिनंदन पत्र वितरित किया गया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ग्राम-छिंदभोग, जिला-मुंगेली अभिनंदन पत्र वितरण

वित्तीय प्रगति :-

भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 उपलब्ध राशि एवं व्यय (राशि रू. करोड़ में)

स.क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01.04.2022 की स्थिति)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल व्यय (दिनांक 31.03.2023 की स्थिति में आई. एम.आई.एस.रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेष राशि
1	केन्द्रांश	147.07	500.00	2223.98	2371.04	2097.06	88.44%	273.99
2	राज्यांश	148.13	1700.85	2172.09	2320.22	2079.48	89.62%	240.74
	कुल	**295.20**	**2200.85**	**4396.07**	**4691.26**	**4176.54**	**89.03%**	**514.73**

टीप– वित्तीय वर्ष 2022–23 में जल जीवन मिशन योजना हेतु वित्त विभाग की अनुमति से केन्द्रांश की प्रावधानित राशि रू. 500.00 करोड़ में से राशि रू. 487.12 करोड़ का राज्यांश राशि के रूप में उपयोग हेतु पुनर्विनियोजन किया गया।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2023–24 के लिये उपलब्ध राशि एवं व्यय (दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक) की जानकारी निम्नानुसार है :–

दिनांक 31.12.2023 की स्थिति में (राशि रू. करोड़ में)

स. क.	अवयव	प्रारंभिक अवशेष (दिनांक 01. 04.2023 की स्थिति में)	प्रावधानित राशि	प्राप्त राशि	कुल उपलब्ध राशि	कुल अद्यतन व्यय (दिनांक 31. 12.2023 की स्थिति में आई.एम.आई. एस.रिपोर्ट के आधार पर)	प्रतिशत व्यय	शेष राशि
1	केन्द्रांश	273.99	0.0007 (टोकन प्रावधान)	1985.56	2259.55	1727.08	76.43%	532.47
2	राज्यांश	240.74	4330.00	1939.23	2179.97	1719.26	78.87%	460.71
कुल		**514.73**	**4330.00**	**3924.79**	**4439.52**	**3446.34**	**77.63%**	**993.18**

भाग - चार

सामान्य प्रशासनिक विषय

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, छत्तीसगढ़ शासन का एक जन कल्याणकारी, तकनीकी कार्यविभाग है। पेयजल के क्षेत्र में जहां विभाग की तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता है, वहीं ग्रामीण स्वच्छता के क्षेत्र में विभाग से सलाहकार, समन्वयक एवं प्रोत्साहक की भूमिका अपेक्षित है। विभाग की गतिविधियों का सीधा संबंध जन सामान्य से है एवं बदली हुई परिस्थितियों में शासकीय योजनाओं की परिकल्पना, आयोजना के साथ ही उनके संचालन एवं संधारण व्यवस्था में जन सामान्य की आवश्यकता, मान्यता एवं उनके सुझावों सहित भागीदारी सुनिश्चित की जानी है। इसके लिए जहां जन सामान्य को सूचना, शिक्षा एवं संचार गतिविधियों के माध्यम से प्रेरित एवं जागरूक करते हुए इस महती भूमिका के निर्वहन के लिए सक्षम बनाया जाना है वहीं तकनीकी अमला जो योजनाओं के सर्वेक्षण, रूपांकन, क्रियान्वयन एवं संचालन–संधारण से संबद्ध है, उन्हें भी समसामयिक कर्तव्यों के लिए तकनीकी विषयों के प्रशिक्षण के साथ ही साथ सूचना, शिक्षा, संचार एवं जनसहभागिता के लिए आवश्यक विषयों के ज्ञान एवं नये–नये विषयों से अवगत कराया जाना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी स्तर के अमले के साथ ही अन्य स्टेक होल्डर्स जैसे हितग्राहियों, पंचायती राज संस्थाओं, एवं योजनाओं के क्रियान्वयन में अभिसरण के लिए अन्य विभागों के मैदानी स्तर के शासकीय अमले को प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

विभागीय संरचना में स्वीकृत पदों का विवरण:-

राजपत्रित प्रथम श्रेणी संवर्ग :

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
1	प्रमुख अभियंता	प्रथम श्रेणी	1	1	-
2	मुख्य अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	4	3	1
3	मुख्य अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	1	0	1
4	अधीक्षण अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	12	9	3
5	अधीक्षण अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	1	1	-
6	संयुक्त संचालक(वित्त)(प्रतिनियुक्ति)	प्रथम श्रेणी	1	1	-
7	कार्यपालन अभियंता (सिविल)	प्रथम श्रेणी	42	33	9

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
8	कार्यपालन अभियंता (वि/यां)	प्रथम श्रेणी	6	6	-
9	कार्यपालन अभियंता (MIS)	प्रथम श्रेणी	1	1	-
राजपत्रित द्वितीय श्रेणी संवर्ग :					
1	हाइड्रोजियोलाजिस्ट (प्रतिनियुक्ति)	द्वितीय श्रेणी	4	-	4
2	सहायक भू–जलविद	द्वितीय श्रेणी	1	-	1
3	सहायक अभियंता (सिविल)	द्वितीय श्रेणी	131	118	13
4	सहायक अभियंता (वि/यां)	द्वितीय श्रेणी	33	26	7
5	सहायक अभियंता (MIS)	द्वितीय श्रेणी	1	-	1
6	लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	द्वितीय श्रेणी	4	3	1
7	मुख्य रसायनज्ञ	द्वितीय श्रेणी	1	1	-
8	कम्प्यूटर प्रोग्रामर	द्वितीय श्रेणी	1	1	-
राज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी :					
1	वरि.तक.सहा. (जियोलाजिस्ट)	तृतीय श्रेणी	2	-	2
2	रिंग आपरेटर	तृतीय श्रेणी	5	-	5
3	सहायक रिंग आपरेटर	तृतीय श्रेणी	5	-	5
4	ड्रिलर	तृतीय श्रेणी	10	-	10
5	फोरमेन	तृतीय श्रेणी	1	-	1
6	उप अभियंता (सिविल)	तृतीय श्रेणी	412	114	298
7	उप अभियंता (वि/यां)	तृतीय श्रेणी	130	65	65
8	मुख्य मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	1	-	1
9	मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	49	12	37
10	सहायक मानचित्रकार	तृतीय श्रेणी	53	19	34
11	अनुरेखक	तृतीय श्रेणी	108	25	83
12	कनिष्ठ लेखाधिकारी (प्रतिनियुक्ति)	तृतीय श्रेणी	1	-	1
13	सहा.कम्प्यूटर प्रोग्रामर	तृतीय श्रेणी	3	-	3

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
14	मुख्यालय अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	1	-	1
15	अधीक्षक	तृतीय श्रेणी	10	4	6
16	सहायक ग्रेड–1	तृतीय श्रेणी	17	8	9
17	लेखापाल	तृतीय श्रेणी	4	-	4
18	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	15	14	1
19	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	30	11	19
20	वरिष्ठ निज सहायक	तृतीय श्रेणी	1	-	1
21	निज सहायक	तृतीय श्रेणी	4	4	-
22	शीघ्रलेखक	तृतीय श्रेणी	13	8	5
23	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	तृतीय श्रेणी	47	9	38
24	स्टेनो टायपिस्ट	तृतीय श्रेणी	43	5	38
25	सहायक केमिस्ट	तृतीय श्रेणी	1	-	1
26	वाहन चालक (वरिष्ठ)	तृतीय श्रेणी	13	7	6
27	केमिस्ट	तृतीय श्रेणी	34	14	20
राज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी :					
1	सुपरवाईजर	चतुर्थ श्रेणी	1	-	1
2	दफ्तरी (राज्य स्तरीय)	चतुर्थ श्रेणी	4	3	1
3	भृत्य (राज्य स्तरीय)	चतुर्थ श्रेणी	28	7	21
4	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	1	-	1
अराज्य स्तरीय तृतीय श्रेणी :					
1	संभागीय लेखापाल (प्रतिनियुक्ति)	तृतीय श्रेणी	42	30	12
2	सहायक ग्रेड–2	तृतीय श्रेणी	207	149	58
3	सहायक ग्रेड–3	तृतीय श्रेणी	287	174	113
4	वाहन चालक (वरिष्ठ)	तृतीय श्रेणी	95	22	73
5	प्रयोगशाला सहायक	तृतीय श्रेणी	35	23	12

क्र.	पदनाम	श्रेणी	स्वीकृत पद	भरे पद	रिक्त पद
6	हैण्ड पंप तकनीशियन	तृतीय श्रेणी	876	289	587
7	एयर कम्प्रेशर चालक	तृतीय श्रेणी	3	-	3
8	ट्रक चालक	तृतीय श्रेणी	28	10	18
9	फिटर	तृतीय श्रेणी	2	-	2
10	शिफ्ट ड्रायवर	तृतीय श्रेणी	1	-	1
11	मेकेनिक	तृतीय श्रेणी	13	5	8
12	टर्नर	तृतीय श्रेणी	2	-	2
13	वेल्डर	तृतीय श्रेणी	1	1	0
14	इलेक्ट्रीशियन	तृतीय श्रेणी	1	-	1
15	चालक सह सहायक	तृतीय श्रेणी	18	1	17
अराज्य स्तरीय चतुर्थ श्रेणी :					
1	दफ्तरी	चतुर्थ श्रेणी	29	9	20
2	भृत्य	चतुर्थ श्रेणी	271	160	111
3	हेल्पर	चतुर्थ श्रेणी	16	16	-
4	लाईनमेन	चतुर्थ श्रेणी	2	-	2
5	क्लीनर	चतुर्थ श्रेणी	13	3	10
6	चौकीदार	चतुर्थ श्रेणी	108	81	27
		योग	**3342**	**1506**	**1836**

टीप– उपरोक्त के अतिरिक्त अराज्य स्तरीय, हेल्पर–331, चौकीदार–420, लाईनमेन–13 एवं क्लीनर के 3 सांख्येत्तर पद स्वीकृत है।

विभागीय कर्मचारियों / अधिकारियों एवं अन्य स्टेक होल्डरों को प्रशिक्षण के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रायोजित अप्रेन्टिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न विषयों में 53 प्रशिक्षुओं को एक वर्ष का प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है।

वर्ष 2022 के दौरान जिन मुख्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों में विभागीय अमले की भागीदारी रही है वह निम्नानुसार हैं:–

क्र.	प्रशिक्षण का विषय	प्रशिक्षण अवधि	प्रशिक्षण स्थान	प्रतिभागियों की संख्या
1.	अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत विभिन्न ट्रेडों (सिविल इंजी., कम्प्युटर इजी., आई टी. इंजी., मेके. इंजी., डिग्री / डिप्लोमा एवं मार्डन ऑफिस मैनेजमेंट डिप्लोमा) में प्रशिक्षण	01.01.2023 से 31.12.2023	विभाग के विभिन्न कार्यालयों में	53
			कुल	**53**

भाग - पांच

विभागीय प्रकाशन

अधिसूचना कमांक एफ 1–46/2019/34–1– के द्वारा छत्तीसगढ़ लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम 2014 में संशोधन अधिसूचना छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) के अंक कमांक 257 दिनांक 10 जून, 2023 को प्रकाशित करवाया गया।

भाग – छ:

अभिनव योजना

मोबाइल बेस्ड कार्य मॉनिटरिंग सिस्टम (जल जीवन मिशन फील्ड मॉनिटरिंग एप)

जल क्रिया पोर्टल योजनाओं के विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित एक फील्ड मॉनिटरिंग ऐप है। जल क्रिया पोर्टल घटना की फोटो, जीपीएस स्थान और तारीख–समय को कैप्चर करता है। जल क्रिया एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर क्षेत्र के उपयोगकर्ता और विभाग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

1. जल जीवन मिशन के तहत कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों की जीपीएस टेगिंग फोटोग्राफी के साथ साथ भौतिक प्रगति प्राप्त करने हेतु यह एप डेवलप्ड किया गया है।
2. कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों के साथ साथ विभागीय अधिकारियों के द्वारा फील्ड विजिट से सम्बंधित समस्त जानकारी तथा जिओ टेगिंग फोटोग्राफी प्राप्त किया जावेगा।
3. यह एप के माध्यम से की गई फोटोग्राफी को जल जीवन मिशन की ऑनलाइन सर्वर में अपलोड किया जावेगा।
4. कांट्रेक्टर द्वारा प्रदान की गई जानकारी एवं भौतिक प्रगति को भुगतान प्रक्रिया के साथ समायोजन किया जावेगा।
5. इंटरनेट की माध्यम से फोटोग्राफ तथा प्राप्त समस्त जानकारी को कही भी कभी भी जल जीवन मिशन की ऑनलाइन डैशबोर्ड में लॉग इन कर देखा जा सकता है।

फील्ड मॉनिटरिंग एप की उपयोगिता:-

1. जल जीवन मिशन के तहत कांट्रेक्टर द्वारा किये जा रहे कार्यों की स्थल की सही जानकारी यह एप के माध्यम से उपलब्ध हो जावेगा।
2. योजना से सम्बंधित समस्त कार्यों की भौतिक जानकारी सिंगल क्लिक पर उपलब्ध होगा।
3. योजना से सम्बंधित हितग्राहियों की पहचान इस एप के माध्यम से सत्यापन किया जा सकता है।
4. कार्य प्रारम्भ दिनांक एवं समाप्ति दिनांक आसानी से यह एप के माध्यम से उपलब्ध हो जावेगा।
5. इस एप से स्थापना स्थल की लोकेशन गूगल मेप में उपलब्ध हो जावेगा।
6. विभागीय अधिकारियों के द्वारा फील्ड विजिट से सम्बंधित जानकारी आसानी से प्राप्त हो पायेगा।

भाग - सात

सारांश

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, नोडल विभाग है। जन सामान्य के लिए शुद्ध पेयजल की निरंतरता एवं पर्याप्त उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है। शुद्ध पेयजल की निरंतर एवं पर्याप्त उपलब्धता के लिए पेयजल की गुणवत्ता के साथ–साथ भू–जल संवर्धन के कार्य भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो गए हैं, जिसके लिए यथोचित प्रयास किए जा रहे हैं। विभाग द्वारा जहां ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हैंडपंप और नल जल योजनाओं के द्वारा की जा रही हैं, वहीं शहरीय क्षेत्रों के लिए उनकी मांग अनुसार जलप्रदाय योजनाओं का अभिकल्पन, रूपांकन एवं क्रियान्वयन भी किया जाता है।

7.1 ग्रामीण पेयजल व्यवस्था :

बुधाबाई ग्राम खपरी विकास खण्ड गुण्डरदेही जिला बालोद

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में राज्य मद की योजनाओं के अतिरिक्त जल जीवन मिशन के दिशा–निर्देशों के अनुरूप निरंतर, गुणवत्तायुक्त, पर्याप्त पेयजल व्यवस्था के लिए विभाग प्रतिबद्ध है। ग्रामीणजनों को सुरक्षित एवं 55 लीटर प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन (पेयजल के लिए 3, खाना बनाने के लिए 5, नहाने के लिए 15, घर एवं बर्तनों की सफाई के लिए 10, शौचालय के लिए 10, कपड़े धोने एवं अन्य कार्य के लिए 12 लीटर) पेयजल उनके घरों में ही कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से उपलब्ध कराए जाने की दिशा में विभाग द्वारा जहां नलजल प्रदाय योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों की छोटी–छोटी बसाहटों में भी सोलर पंप आधारित जलप्रदाय योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस योजना से भी घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जलप्रदाय किया जा रहा है।

भू–जल स्रोतों पर निर्भरता को कम करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सतही स्रोत पर आधारित समूह जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल की गुणवत्ता प्रभावित बसाहटों में विभिन्न तकनीकों पर आधारित शुद्धिकरण संयंत्रों की स्थापना एवं वैकल्पिक व्यवस्था कर, शुद्ध पेयजल प्रदाय के प्रयास किये जा रहे हैं। विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध पेयजल स्रोतों एवं

पेयजल योजनाओं की निरंतरता बनाये रखने, संचालन–संधारण, नई योजनाओं के क्रियान्वयन तथा पेयजल की गुणवत्ता के अनुश्रवण में समुदाय की भागीदारी है।

पेयजल गुणवत्ता की मॉनीटरिंग एवं उस पर निगरानी के लिए लगातार पेयजल स्रोतों की गुणवत्ता का परीक्षण करने के लिए उपखंड स्तर तक प्रयोगशाला की स्थापना करने के साथ चलित प्रयोगशाला की भी व्यवस्था की गई है। इसी की निरंतरता में प्रदेश के समस्त पेयजल स्रोतों की जल गुणवत्ता की जांच बी.आई.एस. मानक अनुसार 13 पैरामीटर पर किया जा रहा है।

7.2 जल जीवन मिशन के अंतर्गत सोलर आधारित नलजल योजना -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में ''हर घर नल से जल'' के तहत् प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को कार्यरत् घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु दूरस्थ/वनांचल/रिमोट क्षेत्र/बिजली की समस्या से ग्रसित क्षेत्रों में सोलर ड्यूअल पंप के माध्यम से नलजल योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

सोलर पंप आधारित पेयजल व्यवस्था जिला-जांजगीर

7.3 नगरीय क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था:

प्रदेश में पेयजल प्रदाय के क्षेत्र में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को विशेषज्ञ अभिकरण की हैसियत प्राप्त है। विभाग द्वारा प्रदेश की नगरीय निकायों के लिए उनकी मांग के अनुसार जल प्रदाय योजनाओं की परिकल्पना, रूपांकन एवं क्रियान्वयन किया जाता है। छ0ग0 राज्य गठन के पश्चात् प्रदेश में नगरीय निकायों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। नगरीय क्षेत्रों में पूर्व से क्रियान्वित पेयजल योजनाओं का वर्तमान आवश्यकता के अनुरूप आवर्धित करने के साथ ही नवीन नगरीय निकायों में ग्रामीण मापदण्ड आधारित क्रियान्वित जलप्रदाय योजनाओं के स्थान पर नगरीय मापदण्ड आधारित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है।

7.4 विविध :

विभाग का मुख्य दायित्व ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था है, जो मुख्यतः भू–गर्भीय स्रोतों पर आधारित है। भू–गर्भीय जल स्रोतों के अधिकाधिक उपयोग से जहां एक ओर भू–गर्भीय जल की उपलब्धता कम हुई है, वहीं उपलब्ध भू–गर्भीय जल की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। विभाग द्वारा सामयिक आवश्यकता के दृष्टिगत भूजल संवर्धन कार्यों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में सतही स्रोत पर

आधारित समूह ग्राम जलप्रदाय योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं। पेयजल गुणवत्ता की समस्या के हल हेतु आयरन, फ्लोराईड रिमूव्हल प्लांट की स्थापना प्राथमिकता से कर, विभाग आधुनिक तकनीकी के उपयोग से अपने आपको समसामयिक बनाये रखने के लिये निरंतर प्रयासरत् है। इस दिशा में उपखंड स्तर तक कम्प्यूटरीकरण किया गया है तथा ऑन लाइन मॉनिटरिंग साफ्टवेयर का उपयोग, प्रस्तावित ग्राम स्तर तक जी.आई.एस. मेपिंग एवं भू–जल संवर्धन योजनाओं हेतु सेटेलाइट इमेजरी का उपयोग, नलकूप खनन हेतु अत्याधुनिक रिग मशीनें एवं इनका रियलटाइम ऑनलाइन मॉनीटरिंग, जल शोधन संयंत्रों में स्काडा तकनीक का उपयोग, ई–प्रोक्योरमेंट, ई–वर्क्स प्रक्रिया का उपयोग एवं टॉल फ्री सेवा से त्वरित शिकायत निवारण व्यवस्था का उल्लेखनीय कदम हैं।

राज्य स्तरीय एवं 27 जिलों की जिला स्तरीय जल प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणन पत्र प्राप्त हो चुका है। राज्य की शेष जिला स्तरीय प्रयोगशालाओं को एन.ए.बी.एल. प्रमाणपत्र प्राप्त करने हेतु सत्त प्रयास किये जा रहे हैं।

वर्तमान में विभाग के पास 1:50,000 स्केल के हाइड्रो–जियो–मार्फोलॉजिकल नक्शे उपलब्ध है जिनका उपयोग विभाग द्वारा नलकूप खनन हेतु किया जा रहा है। जिला राजनांदगांव, के विकासखण्ड राजनांदगांव, डोंगरगढ़ एवं खैरागढ़ के 151 ग्रामों तथा जिला बेमेतरा के विकासखण्ड बेमेतरा, बेरला, नवागढ़, साजा के 80 ग्रामों तथा जिला मुंगेली, के विकासखण्ड मुंगेली, पथरिया के 52 ग्रामों के लिए राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र, क्षेत्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र– मध्य, नागपुर (एन.आर.एस.सी.) द्वारा छत्तीसगढ़ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् के माध्यम से 1:10,000 स्केल पर हाइड्रो–जियो–मॉर्फोलाजिकल नक्शे आवश्यकतानुसार तैयार कराये गये है। जिनका उपयोग नलकूप खनन हेतु यथोचित स्थल के चयन हेतु किया जा रहा है।

i. शिकायत एवं सुझाव प्रणाली :

राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों के पेयजल समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा **टोल फ्री नम्बर 1800–233–0008** स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से प्राप्त समस्याओं का त्वरित निराकरण किया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 31 दिसम्बर, 2023 तक हैण्डपंप संधारण/नलजल प्रदाय योजना हेतु कुल प्राप्त 511 शिकायतें में से 353 शिकायतों का निराकरण किया गया।

ii. हैण्डपंप ट्रैकर :

राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु पेयजल स्रोतों की मॉनिटरिंग हेतु मोबाईल आधारित प्रणाली विकसित की गयी है। जिसके माध्यम से जल स्रोत/हैण्डपंप की ऑनलाईन जी.आई.एस. लोकेशन की जानकारी जैसे कि राज्य में कितने प्रतिशत हैण्डपंप विभिन्न कारणों से खराब है तथा इन हैण्डपंप के सुधार में औसतन कितने दिन लग रहे हैं, इसकी

मॉनिटरिंग की जाती है। साथ ही इस प्रणाली का उपयोग प्री–मानसून एवं पोस्ट–मानसून भूजल स्तर की जानकारी एकत्रित करने हेतु भी किया जा रहा है।

iii. मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम (एम.आर.एम.एस.) :

ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था हेतु विभागीय रिंग मशीनों के माध्यम से खनित किये जा रहे नलकूप एवं उन पर हैण्डपंप स्थापना तक के कार्यों की जानकारी मोबाइल बेस्ड रिग मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से एकत्र की जा रही है।

iv. मोबाइल बेस्ड कार्य मॉनिटरिंग सिस्टम (जल जीवन मिशन फील्ड मॉनिटरिंग एप):

जल क्रिया पोर्टल योजनाओं के विभिन्न चरणों में निर्माण गतिविधियों और सामग्रियों की निगरानी के लिए जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ द्वारा कार्यान्वित एक फील्ड मॉनिटरिंग ऐप है। जल क्रिया पोर्टल घटना की फोटो, जीपीएस स्थान और तारीख–समय को कैप्चर करता है। जल क्रिया एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर क्षेत्र के उपयोगकर्ता और विभाग के अधिकारियों के लिए उपलब्ध है।

v. सूचना एवं प्रचार - प्रसार गतिविधियाँ :

1. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता हेतु प्रचार-प्रसार अभियान-

ग्राम पंचायत स्तर पर जल गुणवत्ता अनुश्रवण और निगरानी के लिए आईईसी अभियान आयोजित किया जा रहा है जहां स्थानीय समुदाय के सदस्यों को पानी की गुणवत्ता और स्वच्छता निरीक्षण के विभिन्न पहलुओं के बारे में, जल के महत्त्व, जल जनित बीमारियों एवं स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों और पीने के पानी के सुरक्षित प्रबंधन और भंडारण आदि के बारे में जागरूक किया जा रहा है।

77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में प्रदेश के सरपंचों की भागीदारी

2. प्रचार-प्रसार गतिविधियां -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत राज्य के सभी जिलों के द्वारा सोशल मीडिया अभियान जन आन्दोलन के रूप में चलाया जा रहा है जिसके माध्यम से ग्राम पंचायत एवं जिले स्तर पर किये जा रहे उत्कृष्ट एवं प्रेरणादायी कार्यों से सम्बंधित फोटो, वीडियो एवं सफलता की कहानियों को जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल फेसबुक पेज, ट्विटर एवं इन्स्टाग्राम पेज पर जिलों के द्वारा साझा किया जा रहा है।

3. जल जीवन मिशन के अंतर्गत क्षमता वृद्धि एवं कौशल विकास अभियान

जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित होने वाले नल जल योजनाओं के संचालन/संधारण कार्य हेतु कौशल प्रशिक्षण के रूप में प्रदेश के ग्रामीण युवकों/युवतियों को प्रशिक्षित किया गया एवं यह कार्य निरंतर जारी है।

4. जल जीवन मिशन के अंतर्गत जागरूकता अभियान :

जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रदेश में कियान्वयन सहयोगी संस्थाओं द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इन सहयोगी संस्थाओं के द्वारा प्रत्येक ग्राम पंचायत में पी.आर. आई. गतिविधियाँ, ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (व्ही.डब्ल्यू.एस.सी.) के बैठकों का आयोजन तथा समुदायों की भागीदारी एवं जन जागरूकता कार्यकम, संचालित किया जा रहा है।

जल बहिनियों के द्वारा एफ.टी.के. के माध्यम से जलगुणवत्ता परीक्षण

5. जलगुणवत्ता अनुश्रवण एवं निगरानीः

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु पंचायतों में जलगुणवत्ता परीक्षण हेतु फील्ड टेस्टकिट उपलब्ध कराकर प्रत्येक पंचायत की 5–5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है एवं उनके माध्यम से ग्राम के पेयजल के स्रोतों के जल नमूनों का परीक्षण किया जा रहा है। एवं उन्ही के द्वारा मोबाइल एप के माध्यम से ऑनलाईन प्रगति दर्ज की जा रही है।

6. जलगुणवत्ता अनुश्रवण हेतु राज्य स्तरीय जल परीक्षण प्रयोगशाला एवं अनुसंधान केन्द्रः-

जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल परीक्षण अनुश्रवण हेतु परीक्षण कार्य में लगे मानव संसाधन एवं प्रयोगशाला के संसाधन को गुणवत्ता युक्त रखने हेतु अनुसंधान केन्द्र कार्यरत् हैं। राज्य स्तरीय जल प्रयोगशाला, रावणभाठा, रायपुर में पेयजल में मौजूद हैवी मेटल एवं विशेष घटकों की जैसे आर्सेनिक, फ्लोराइड, सीसा आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है।

7. जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य -

जल जीवन मिशन के अंतर्गत शाला, आंगनबाड़ी केन्द्रों एवं अन्य शासकीय संस्थानों में गुणवत्ता युक्त रनिंग पेयजल व्यवस्था का कार्य किया जा रहा है।

जल जीवन मिशन छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ

भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा करायी गयी देश के आकांक्षी जिलों के जल जीवन सर्वेक्षण–2023 में राज्य के नारायणपुर जिले को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ जो राज्य के लिए गौरव का विषय है।

जल जीवन मिशन, छत्तीसगढ़ द्वारा 75 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरेलू नल कनेक्शन प्रदाय करने के लक्ष्य को प्राप्त करने पर मान. मुख्यमंत्री जी छ.ग. शासन एवं मान. केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा X पर बधाई संदेश दिये गये

पी.व्ही.टी.जी. बसाहट में कार्यरत घरेलू नल कनेक्शन, हितग्राही श्रीमती बती बाई कमार
ग्राम खैरझिटी जिला गरियाबंद

स्वच्छ जल से सुरक्षा अभियान के अंर्तगत ग्राम-अवरी, जिला कांकेर, में जल बहिनियों के द्वारा फिल्ड टेस्ट किट के माध्यम से ग्राम के पेयजल स्रोत के जल नमूने का परीक्षण कार्य करते हुए।

मान. श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार एवं
मान. श्री अरूण साव, उपमुख्यमंत्री, छ.ग. शासन, लो.स्वा.यां. विभाग द्वारा जिला महासमुन्द के ग्राम झालखम्हरिया के पी.व्ही.टी.जी. बसाहट में ग्रामवासियों से चर्चा एवं जिला पंचायत परिसर महासमुन्द में जल गुणवत्ता परीक्षण संबंधी प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए।

लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग

कार्यालय माननीय उप मुख्यमंत्री 0771-2510319, 2221318
कार्यालय सचिव 0771-2510496
कार्यालय मिशन संचालक 0771-2962920, 2442920
कार्यालय प्रमुख अभियंता 0771-2331368

ग्रामीण पेयजल शिकायत हेतु टोल फ्री नं. -18002330008

Chhattisgarh Samvad